रजिस्ट्री सं० डी (डी)-73

REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 11, 1975/आश्विन 19, 1897
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 11, 1975/ASVINA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1975

का० आ० 4367.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 377-खैर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चरन सिंह, निवासी तकीपुर पो० आ० नारायणपुर, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असमर्थ रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चरन सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र० -वि०स०/377/74(151)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 9th September, 1975

S.O. 4367.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Charan Singh, Village Takipur, P.O. Narainpur, District Aligarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 377-Khair assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Charan Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/377/74(151)]

आदेश

का० आ० 4368.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 377-खैर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रमेश चन्द्र शास्त्री, ग्राम व पोस्ट लोधा, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों की कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रमेश चन्द्र शास्त्री को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र० वि०स०/377/74(152)]

ORDER

S.O. 4368.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramesh Chandra Shastri, Village and P.O. Lodha District Aligarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 377-Khair assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramesh Chandra Shastri to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/377/74(152)]

आदेश

का० आ० 4369.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 377-खैर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सत्य पाल सिंह, ग्राम उदेगढ़ी, पो० ऐंचना , जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों की कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त उम्मीदवार की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सत्यपाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/377/74(153)]

ORDER

S.O. 4369.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Satya Pal Singh, Village Udaigarhi, P. O. Ainchna, District Aligarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 377-Khair assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made there under;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Satya Pal Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/377/74(153)]

आदेश

का०आ० 4370.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 222–सीयर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चन्द्रिका, ग्राम पोस्ट आवायां, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चन्द्रिका को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश को तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/222/74(154)]

ORDER

S.O. 4370.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chandrika, Village Post Awaya, District Ballia, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to

the U.P. Legislative Assembly from 222-Siar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chandrika to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/222/74(154)]

आदेश

का० आ० 4371.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के 222–सीयर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री देवनाथ, ग्राम कैथीखतिबपुर, पोस्ट आफिस ननोरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई भी कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री देवनाथ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/222/74(155)]

ORDER

S.O. 4371.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Deonath, Village Kaithi Khatibpur, P.O. Nanaura, District Ballia, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 222-Siar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Deonath to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/222/74(155)]

आदेश

का० आ० 4372.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 222–सीयर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बशीर ग्राम बिठुआ, पत्रालय बल्थरा रोड, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बशीर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/222/74(156)]

ORDER

S.O. 4372.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bashir, Village Bithua, P.O. Balthara Road, District Ballia, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 222-Siar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bashir to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/222/74(156)]

आदेश

का० आ० 4373.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिये 222–सीयर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रमाकान्त, ग्राम टंगुनिया, पत्रालय चैनप गुलोरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधियनम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रमाकान्त को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं०उ०प्र०-वि०स०/222/74(157)]

ORDER

S.O. 4373.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rama Kant, Village Tungania, P.O. Chainan Gulaura, District Ballia, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 222-Siar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rama Kant to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/222/74(157)]

आदेश

का० आ० 4374—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 222–सीयर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विनय प्रताप, ग्राम व पत्रालय बेल्थरारोड, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री विनय प्रताप, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/222/74(158)]

ORDER

S.O. 4374.—Whereas the Election Commission is satisfied Shri Vinay Pratap, Village Post Balthara Road, District Ballia, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 222-Siar assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vinay Pratap to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/222/74(158)]

आदेश

का० आ० 4375.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 236–सैदपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री केशव पुत्र श्री रमाशंकर ग्राम फरीदहा, पोस्ट खानपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों की कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री केशव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/236/74(159)]

ORDER

S.O. 4375.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Keshav, son of Shri Ramashankar, Village Pharidaha, Post Khanpur, District Ghazipur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 236-Saidpur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Keshav to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/236/74(159)]

आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1975

का०आ० 4376.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 196–हाटा (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भोला प्रसाद, ग्राम सोन बरसा, पोस्ट पिपराइचा, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है

कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भोला प्रसाद को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/196/74(162)]

ORDER

New Delhi, the 12th September, 1975

S.O. 4376.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhola Prasad, Village Sonbarsa, Post Pipraicha, District Deoria, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 196-Hata(SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhola Prasad to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/196/74(162)]

का० आ० 4377.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग निदेश देता है कि इसकी अधिसूचना सं० 434/असम/75(1), तारीख 15 जुलाई, 1975 में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में, —

मद "11-कालियाबोर" के सामने, विद्यमान प्रविष्टि "उपखण्ड आफिसर, नौगोंग" के स्थान पर "उपायुक्त, नौगोंग", प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[सं० 434/असम/75(1)]

S.O. 4377.—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/AS/75(1), dated 15th July, 1975, namely:—

In Column 2 of the table appended to the said notification :—

against item "11-Kaliabor" for the existing entry "Sub-Divisional Officer, Nowgong" the entry "Deputy Commissioner, Nowgong", shall be substituted.

[No. 434/AS/75(1)]

आदेश

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1975

का० आ० 4378.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 107-बछरावां (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री घसीटे, ग्राम व पोस्ट बछरावां, जिला राय बरेली, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री घसीटे को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/107/74(163)]

ORDER

New Delhi, the 15th September, 1975

S.O. 4378.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ghasite, Village & P.O. Bachhrawan, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 107-Bachhrawan(SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Ghasite to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/107/74(163)]

आदेश

का० आ० 4379.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 107-बछरावां (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिवकुमार, ग्राम रामपुर सुदौली, पोस्ट कुर्री सुदौली, जिला राय बरेली, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिवकुमार को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/107/74(164)]

ORDER

S.O. 4379.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shiv Kumar, Village Rampur Sudauli, P.O. Kurri Sudauli, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 107-Bachhrawan (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shiv Kumar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/107/74(164)]

आदेश

का० आ० 4380.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 112-डलमऊ निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बृजमोहन पाठक, ग्राम धूता, पोस्ट सुदामापुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बृजमोहन पाठक को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र० वि० स०/112/74 (166)]

ORDER

S.O. 4380.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Braj Mohan Pathak, Village Dhoota, Post Sudamapur, District Rae Bareli, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 112-Dalmau assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10 A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Braj Mohan Pathak to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/112/74 (166)]

आदेश

का० आ० 4381.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 122 गौरीगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महाराजदीन ग्राम गुर थोलिया, पो० टंडवा, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महाराजदीन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र० वि० स०/122/74(167)]

ORDER

S.O. 4381.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahrajdin, Village Garthaulia, P.O. Tandwa, District Sultanpur Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 122-Gauriganj assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahrajdin to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/122/74 (167)]

का० आ० 4382.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 कक की उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग निदेश देता है कि इस अधिसूचना सं० 508/असम/75 तारीख 20 जून, 1975 में निम्नलिखित संशोधन किये जाएंगे, अर्थात :—

उससे संलग्न सारणी के स्तम्भ 1, 2 और 3 में, क्रम संख्या 7 नौगोंग जिला और संख्या 10 डिब्रुगढ़ जिला के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी :

स्तम्भ सं० 1	स्तम्भ सं० 2	स्तम्भ सं० 3
7. नौगोंग जिला	(क) उपायुक्त नौगोंग । (ख) उप-खण्ड आफिसर, मरिगांव ।	नौगोंग उप-खण्ड । मरिगांव उप-खण्ड ।
10. डिब्रुगढ़ जिला	(क) उपायुक्त डिब्रुगढ़ (ख) उपखण्ड आफिसर, तिनसुकिया ।	डिब्रुगढ़ उपखण्ड । तिनसुकिया उपखण्ड

[सं० 508/असम/75]

S.O. 4382.—In pursuance of the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 13AA of the Representation of the People Act, 1950, the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 508/AS/75 dated 20th June, 1975, namely :—

In Columns 1, 2 and 3 of the table appended thereto against serial No.7-Nowgong District and No. 10-Dibrugarh District, for the existing entries the following entries shall be substituted :—

Column No. 1	Column No. 2	Column No. 3
7. Nowgong District	(a) Deputy Commissioner, Nowgong	Nowgong Sub-division
	(b) Sub-divisional Officer, Marigaon.	Marigaon Sub-division.
10. Dibrugarh District	(a) Deputy Commissioner, Dibrugarh.	Dibrugarh Sub-divison.
	(b) Sub-divisional Officer, Tinsukia.	Tinsukia Sub-division.

[No. 508/AS/75]

आदेश

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1975

का० आ० 4383.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 220-मऊ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती रमौती, मुहल्ला प्यारेपुरा, मऊ नाथ भंजन, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती रमौती को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/220/74(178)]

ए० एन० सैन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 16th September, 1975

S.O. 4383.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Ramauti, Mohalla Pyarepura, Mau Nath Bhanjan, Azamgarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 220-Mau assembly constituency, has failed to lodge an account of her election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati Ramauti to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/220/74 (178)]

A. N. SEN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1975

का० आ० 4384.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 208 (ई०) दिनांक 16 मई, 1975 के अनुसार केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 (1971 का 52) सिक्किम राज्य में पहली जुलाई 1975 से लागू होगा।

[संख्या 1/18/75-कवाइन]

एस० एल० दत्त, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 8th August, 1975

S.O. 4384.—In pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 208(E), dated the 16th May, 1975, the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 1975, as the date on which the Small Coins (Offences) Act, 1971 (52 of 1971) shall come into force in the State of Sikkim.

[No. 1/18/75-Coin]

S. L. DUTT, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1975

आय-कर

का० आ० 4385 —सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि अधिसूचना सं० 582 (फा० सं० 203/18/74-आई टी ए० II), तारीख 27 मार्च, 1974 द्वारा आर० एन० टी० मेडिकल कालेज, उदयपुर को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) (ii) के अधीन दिया गया अनुमोदन, विहित प्राधिकारी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली की सिफारिश पर 27 मार्च, 1974 से वापस लिया जाता है ।

[सं०-1010-फा० सं० 203/77/75-आई० टी० ए०II]

(DEPARTMENT OF REVENUE & INSURANCE)

New Delhi, the 1st August, 1975

INCOME-TAX

S.O. 4385.—It is hereby notified for general information that the approval given under section 35(1)(ii) of the Income-tax Act, 1961 to R.N.T. Medical College, Udaipur by notification No. 582 (F. No. 203/18/74-ITA.II) dated the 27th March, 1974 is withdrawn on the recommendation of the prescribed authority, the Indian Council of Medical Research, New Delhi with effect from 27th March, 1974.

[No. 1010-F. No. 203/77/75-ITA II]

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1975

आय-कर

का० आ० 4386.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था को विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के सचिव, विहित प्राधिकारी, द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिये अनुमोदित किया गया है । यह अधिसूचना 1-4-1975 से 31-3-1978 तक प्रभावी रहेगी ।

संस्था

मिस्टम्स रिसर्च इंस्टीच्यूट, पूणे ।

[सं० 1051-फा० सं० 203/43/75-आई० टी० ए० II]

टी० पी० मुनसुनवाला, उप सचिव ।

New Delhi, the 22nd August, 1975

INCOME-TAX

S.O. 4386.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Secretary, Department of Science & Technology, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income tax Act, 1961. The notification will be effective from 1-4-75 to 31-3-78.

INSTITUTION

Systems Research Institute, Poona

[No. 1051—F. No. 203/43/-ITA. II]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1975

आयकर

का० आ० 4387.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री के० वी० श्रीकांतन और श्री आर० एस० मणियन को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिसूचना सं० 50 (फा० सं० 404/46/71-आई टी० सी० सी०), तारीख 22 फरवरी, 1971 के अधीन की गई श्री एस कुलन्दईवेलू और श्री एस० एल० नरसिम्हन की नियुक्तियां रद्द की जाती हैं ।

यह अधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिस तारीख को पैरा 1 में के अधिकारी कर वसूल अधिकारियों के रूप में कार्यभार ग्रहण करते हैं।

[सं० 1046—फा० सं० 404/94/75-आई टी सी सी]

वी० पी० मित्तल, उप सचिव

New Delhi, the 19th August, 1975

INCOME-TAX

S.O. 4387.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri K. V. Srikantan and Shri R. S. Manian who are Gazetted Officers of the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

2. The appointments of Shri S. Kulandaiyelu and Shri S. L. Narasimhan made under Notification No. 50 (F. No. 404/46/71 ITCC) dated the 22nd February, 1971 are hereby cancelled.

This notification shall come into force with effect from the date the officers in paragraph 1 take over as Tax Recovery Officers.

[No. 1046—F. No. 404/94/75-ITCC]

V. P. MITTAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1975

का० आ० 4388.—केन्द्रीय सरकार, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 114 की उपधारा (2) के खण्ड (क) और (ख), खण्ड (घ) के उपखण्ड (iii) और खण्ड (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वर्ण नियंत्रण (मानक स्वर्ण शलाकाओं के विनिर्देश और परिष्करण की शर्तें) नियम 1968 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. (1) इन नियमों का नाम स्वर्ण नियंत्रण (मानक स्वर्ण शलाकाओं के विनिर्देश और परिष्करण की शर्तें) संशोधन नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें ।

2. स्वर्ण नियंत्रण (मानक स्वर्ण शलाकाओं के विनिर्देश और परिष्करण की शर्तें) नियम, 1968 में, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) उद्देशिका में, खण्ड (ज) शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "खण्ड (ट)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जायेंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 15 के पश्चात् और भाग IV—प्रकीर्ण शीर्षक से पूर्व, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्—"15 क सांचों और डाइयों का व्ययन—जहां, स्वर्ण शलाकाओं पर स्टाम्प लगाने के प्रयोजनों के लिये नियम 4 के अनुसार किसी परिष्करणकार द्वारा अभिप्राप्त सांचों और डाइयों में परिष्करणी के नाम, व्यापार चिन्ह या संकेताक्षर और शुद्धता तथा भार के सम्बन्ध में चिह्न हैं, और परिष्करणकार उनका प्रयोग या तो उसकी अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त हो जाने के कारण या किसी अन्य कारण से नहीं कर सकता हो, तो प्रशासक, ऐसे सांचों या डाइयों पर के चिन्हों को, ऐसी रीति में, जैसी वह ठीक समझे, विरूपित करवा देगा या मिटवा देगा।"

[सं० फा० 2/76/69-जी०सी० II]

एस० जी० अब्रोल, अपर सचिव

New Delhi, the 19th September, 1975

S.O. 4388.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (a) and (b), sub-clause (iii) of clause (d) and clause (k) of sub-section (2), of section 114 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968) the Central Government hereby makes the following rules to amend the Gold Control (Specifications of Standard Gold Bars and Conditions of Refining) Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Gold Control (Specifications of Standard Gold Bars and Conditions of Refining) Amendment Rules, 1975.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Gold Control (Specifications of Standard Gold Bars and Conditions of Refining) Rules, 1968 (hereinafter referred to as the said rules), in the preamble, for the word, brackets and letter "clause (j)", the word, brackets and letter "clause (k)" shall be substituted.

3. After rule 15 of the said rules and before the heading "Part IV-Miscellaneous", the following rule shall be inserted namely :—

"15A. Disposal of moulds and dies.—Where moulds or dies, obtained by a refiner in accordance with rule 4 for the purposes of stamping on gold bars, contain markings in regard to the name, trade mark of code letter of the refinery, and fineness and weight and could not be used by him either by reason of his licence ceasing to be valid or for any other reason, the Administrator shall cause the markings on such moulds or dies to be disfigured or obliterated in such manner as the Administrator deems fit."

[No. F. 2/76/69-GC II]

M. G. ABROL, Add. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)

बम्बई, 12 सितम्बर, 1975

का० आ० 4389.—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं० फा० 1 (67) ईसी/57, दिनांक 25 सितम्बर, 1958 के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक इसके जरिये यह निदेश देता है कि उसकी अपनी अधिसूचना सं० एफ० ई० आर० ए० 168/58-आर बी० दिनांक 4 दिसम्बर, 1958 (जिसे इसके बाद "उक्त अधिसूचना" कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में "कनारा बैंक" की प्रविष्टि के बाद "कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड" की प्रविष्टि का सन्निवेश किया जायेगा

[सं० एफ० ई० आर० ए० 32/75-आर० बी०]
एस० एस० शिरालकर, उप-गवर्नर

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

(Exchange Control Department)

Bombay, 12th September, 1975

S.O. 4389.—In pursuance of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. FI. (67)EC/57 dated 25th September 1958, the Reserve Bank of India hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. F.E.R.A. 168/58-RB dated the 4th December 1958 (hereinafter referred to as "the said notification") namely :—

In the schedule to the said notification after the entry "Canara Bank", the entry "Catholic Syrian Bank Ltd." shall be inserted.

[No. FERA. 32/75-RB]
S. S. SHIRALKAR, Dy. Governor.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1975

का० आ० 4390.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 1 के खण्ड (ग) की उपधारा (i) और (ii) के उपबन्ध यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, कलकत्ता पर 26 मार्च, 1976 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उक्त बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री एम० सेन शर्मा का बिहार औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का निदेशक होना प्रतिषिद्ध करते हैं ।

[सं० 15(32)-बी० ओ० III/75]

(Department of Banking)

New Delhi, the 15th September, 1975

S.O. 4390.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to United Bank of India Calcutta, upto 26th March 1976 in so far as the said provisions prohibit Shri M. Sen Sharma, its Chairman and Managing Director, from being a director of the Industrial Development Corporation of Orissa Ltd.

[No. 15(32)-B.O. III/75]

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1975

का० आ० 4391.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध यनाइटेड, बैंक ऑफ इंडिया, कलकत्ता पर इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिये उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उनका संबंध बैंक द्वारा मेसर्स ईस्ट बंगाल रिवर स्टीम सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों की धारकता से है ।

[सं० 15(37)-बी०ओ०/III/75]
मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव

New Delhi, the 19th September, 1975

S.O. 4391.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to United Bank of India, Calcutta, for a period of two years from the date of this notification in so for as they relate to its holdings in the shares of M/s. East Bengal River Steam Services Ltd.

[No. 15(37)-B.O. III/75]
M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1975

(भारतीय रिजर्व बैंक)

का० आ० 4392.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में सितम्बर 1975 के दिनांक 12 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	12,89,93,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
संचलन में नोट	6349,71,84,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,52,56,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
जारी किये गये कुल नोट		6362,61,77,000	विदेशी प्रतिभूतियां	121,73,97,000	
				जोड़	304,26,53,000
			रुपये का सिक्का		12,95,66,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		6045,39,58,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य-पत्र		..
कुल देयताएं		6362,61,77,000	कुल आस्तियां		6362,61,77,000

दिनांक : 17 सितम्बर, 1975

आर० के० हजारी, उप-गवर्नर

22 सितम्बर, 1975 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	12,89,93,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,55,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	4,58,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	43,16,89,000
(स्थिरीकरण) निधि	140,00,00,000	(ख) विदेशी	—
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खजाना बिल	1091,06,68,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	656,61,98,000
जमाराशियां:—		निवेश**	479,07,84,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम:—	
(i) केन्द्रीय सरकार	59,56,00,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	—
(ii) राज्य सरकारें	5,89,15,000	(ii) राज्य सरकारों को†	76,34,01,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम:—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	567,15,50,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को‡	68,77,50,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	18,51,77,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को@	308,50,29,000
(iii) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,46,20,000	(iii) दूसरों को	11,71,61,000
(iv) अन्य बैंक	77,36,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम:—	
		(i) राज्य सरकारों को	69,63,80,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	12,67,41,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	—
		(iv) कृषि पुनर्वित निगम को	87,20,00,000
(ग) अन्य	1165,47,25,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	
देय बिल	140,38,22,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	10,60,13,000
		राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	93,51,43,00
अन्य देयताएं	714,16,46,000	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	323,63,46,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	—
		अन्य आस्तियां	346,87,82,000
रुपये	3692,37,91,000	रुपये	3692,37,91,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

‡भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मियादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 40,62,00,000 रुपये शामिल हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

आर० के० हजारी, उप-गवर्नर

[सं० 10(1)/75-बी०ओ०-I]

दिनांक : 17 सितम्बर, 1975

ब० व० मीरचन्दानी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 20th September, 1975

RESERVE BANK OF INDIA

S.O. 4392.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 12th day of September 1975

ISSUE DEPARTMENT

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	12,89,93,000		Gold Coin and Bullion :— (a) Held in India	182,52,56,000	
Notes in circulation	6349,71,84,000		(b) Held outside India	..	
Total notes issued		6362,61,77,000	Foreign Securities	121,73,97,000	
			Total		304,26,53,000
			Rupee Coin		12,95,66,000
			Government of India Rupee Securities		6045,39,58,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		...
Total Liabilities		6362,61,77,000	Total Assets		6362,61,77,000

R.K. HAZARI, Dy. Governor

Dated the 17th day of September, 1975

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 12th September, 1975

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	12,89,93,000
		Rupee Coin	2,55,0
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	4,58,000
		Bills Purchased and Discounted :—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	(a) Internal	43,16,89,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	1091,06,68,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	Balances Held Abroad*	656,61,98,000
		Investments**	479,07,84,000
		Loans and Advances to :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(i) Central Government	..
		(ii) State Governments@	76,34,01,000
		Loans and Advances to :—	
		(i) Scheduled Commercial Banks†	68,77,50,0000
Deposits :—		(ii) State Co-operative Banks‡	308,50,29,000
(a) Government :		(iii) Others	1,171,61,000
(i) Central Government	59,56,00,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund :	
(ii) State Governments	5,89,15,000	(a) Loans and Advances to—	
(b) Banks :		(i) State Governments	69,63,80,000
(i) Scheduled Commercial Banks	567,15,50,000	(ii) State Co-operative Banks	x2,67,41,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	18,51,77,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	87,20,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,60,13,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,46,20,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	93,51,43,000
(iv) Other Banks	77,36,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund :	
(c) Others	1165,47,25,000	(a) Loans and Advances to the Development Banks	323,63,46,000

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Bills Payable	140,38,22,000	(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank . .	..
Other Liabilities	714,16,46,000	Other Assets	346,87,82,000
Rupees	3692,37,91,000	Rupees	3692,37,91,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 40,62,00,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

‡Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

R. K. Hazari, Deputy Governor.

[F. 10(1)/75-BO-I]

C. W. MIRCHANDANI, Under Secy.

Dated the 17th day of September, 1975.

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1975

आय-कर

का०आ० 4393.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी अधिसूचना सं० 1 (फा० सं० 55/233/63-2), तारीख 18 मई, 1964 में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन करता है, अर्थात्:—

(क) उक्त अनुसूची की क्रम सं० 71 में, स्तम्भ 3 और 4 में "हुबली सर्किल, कलकत्ता" शब्दों के स्थान पर "जिला-8, कलकत्ता" शब्द रखे जाएंगे और स्तम्भ 6 में विद्यमान शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

"आय-कर आयुक्त, जिसे जिला-8, कलकत्ता की बाबत आय-कर आयुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है।"

(ख) उक्त अनुसूची में क्रम सं० 75 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

1	2	3	4	5	6
क्रम सं० 76.	कलकत्ता नगर तथा हावड़ा और चौबीस परगना के सिविल जिलों के भीतर आने वाले क्षेत्र के ऐसे सभी व्यक्ति जो (i) वास्तुविद् इंजीनियर या परामर्शी की वृत्ति करते हैं (ii) इंजीनियरी या निर्माण ठेकेदार और/या किसी इंजीनियरी या निर्माण कार्य करने के लिए श्रमिकों की व्यवस्था करने हेतु ठेकेदार के रूप में कारबार करते हैं ।	आय कर अधिकारी, परियोजना सर्किल, कलकत्ता	सहायक आय कर आयुक्त (निरीक्षण), जो स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी की बाबत सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है ।	सहायक आय-कर आयुक्त (अपील) जिसे स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट आय-कर अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने की शक्तियां विनिहित की गई हैं ।	आय कर आयुक्त जो स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट आयकर अधिकारी की बाबत आय कर आयुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया है
क्रम सं० 77.	कलकत्ता नगर तथा हावड़ा और चौबीस परगना के सिविल जिलों के भीतर आने वाले क्षेत्रों के ऐसे सभी व्यक्ति, जो (i) एलोपैथी, होमियोपैथी, आयुर्वेद या किसी अन्य पद्धति के, सरकारी सेवकों से भिन्न, अधीन चिकित्सा-व्यवसायी या दन्त चिकित्सक की वृत्ति करते हैं ; (ii) दवाईयां और औषधियों के विनिर्माण, वितरण और या विक्रय का कारबार करते हैं (कम्पनियों को छोड़कर) या ऑप्टीशियन का कारबार करते हैं ; (iii) परिचर्या गृह, निजी अस्पताल मैदानिक प्रयोगशालाएं और या एक्स-रे क्लिनिक चलाते हैं।	आयकर अधिकारी, जिला 8, कलकत्ता	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
क्रम सं० 78.	कलकत्ता नगर तथा हावड़ा और चौबीस परगना के सिविल जिलों के भीतर आने वाले क्षेत्रों के ऐसे सभी व्यक्ति जो विधि-व्यवसायी या आय-व्यवसायी की वृत्ति करते हैं ।	आय कर अधिकारी, जिला 3(i), कलकत्ता	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
क्रम सं० 79.	कलकत्ता नगर तथा हावड़ा और चौबीस परगना के सिविल जिलों के भीतर आने वाले क्षेत्रों के ऐसे सभी व्यक्ति जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की वृत्ति करते	आय कर अधिकारी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट सर्किल, कलकत्ता	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

यह अधिसूचना 8 अगस्त, 1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 1013—फा० सं० 187/12/75-आई०टी० (ए 1)]

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 2nd August, 1975

INCOME-TAX

S.O. 4893.—In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1951), the Central Board of Direct Taxes, hereby makes the following additions/amendments to the schedule annexed to its notification No. 1 (F.No. 55/233/63-II) dated the 18th May, 1964 as amended from time to time.

(a) In serial No. 71 of the said schedule in Columns 3 and 4, the words "Hundi Circle, Calcutta" shall be substituted by the words "District-VIII, Calcutta and in Column 6, the existing words shall be substituted by the following :—

"Commissioner of Income-tax who has been appointed to perform the functions of the Commissioner of Income-tax in respect of District-VIII, Calcutta."

(b) After serial No. 75 in the said schedule the following shall be added :—

1	2	3	4	5	6
Sl. No. 76	All persons within the area covered by the City of Calcutta and the Civil Distt. of Howrah and 24-Parganas who carry on (i) Profession as architects, Engineers; or engineering consultants (ii) business as engineering or construction contractors and/or as contractors for supply of labour to carry out any engineering or construction work.	Income-tax Officer, Project Circle Calcutta.	Inspecting Assistant C.I.T. who has been appointed to perform the function of an Inspecting Assistant C.I.T. in respect of the I.T. Officer, referred to in Col. 3.	Appellate Assistant Commissioner of income-tax who has been invested with powers to hear appeals against the decision of the Income-tax Officer referred to in Column 3.	Commissioner of Income-tax who has been appointed to peform the functions of C.I.T in respect of the Income-tax Officer referred to in Column. 3.
Sl.No.77	All persons within the area covered by the City of Calcutta and the Civil Districts of Howrah and 24-Parganas who (i) carry on profession as Medical practitioners under the Allopethic, Homeopathic, Ayurvedic or any other system or as Dental Surgeons other than those who are Government Servants (ii) Carry on business of manufacture, Distribution and or sale of medicines and Drugs (other than Companies) or as options (iii) run Nursing Homes, private hospitals, diagnostic laboratories and/or X-Ray Clinics.	Income-tax Officer District-VIII, Calcutta.	Do.	Do.	Do.
Sl.No. 78	All persons within the area covered by the City of Calcutta and the Civil Districts of Howrah and 24-Parganas who carry on profession as legal practitioners or Income-Practitioners.	Income-tax Officer, Distt. III(i) Calcutta.	Do.	Do.	Do.
Sl.No. 79	All persons within the area covered by the City of Calcutta and the Civil Districts of Howrah and 24-Parganas who carry on profession as Chartered Accountants.	Income-tax Officer, Chartered Accountants, Circle, Calcutta.	Do.	Do.	Do.

This Notification shall take effect from 8th August, 1975.

[No. 1013—F.No. 187/12/75-II(A1)]

आयकर

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1975

का० आ० 4394.—आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, समय-समय पर यथासंशोधित, अपनी अधिसूचना सं० 679 (फा० सं० 187/2/74-आई टी (ए आई) तारीख 20-7-1974 और 862 (फा० सं० 187/2/74 आई टी (ए आई) तारीख 26-3-1975 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

आयकर आयुक्त I पुणे के चार्ज की क्रम सं० 19 के सामने, स्तंभ सं० 3 में मद सं० 1 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेंगी :—

1. (1) क-वार्ड, पुणे, (2) ख-वार्ड पुणे, (3) ग-वार्ड, पुणे, (4) ङ-वार्ड पुणे, (5) च-वार्ड पुणे, (6) छ-वार्ड, पुणे, (7) ज-वार्ड, पुणे (8) ट-वार्ड पुणे, (9) ड-वार्ड पुणे, (10) ढ-वार्ड पुणे, (11) त-वार्ड पुणे, (12) द-वार्ड, पुणे (13) ध-वार्ड, पुणे (14) ब-वार्ड, पुणे (15) भ-वार्ड, पुणे (17) विशेष सर्वेक्षण सर्किल 1, पुणे।

आयकर आयुक्त 2 पुणे के चार्ज की क्रम सं० 19 क के सामने, स्तंभ 3 में, मद सं० 1 में की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी ।

1. (1) ध्र-वार्ड, पुणे (2) ज-वार्ड, पुणे (3) ठ-वार्ड, पुणे (4) ध्र-वार्ड, पुणे (5) न-वार्ड, पुणे (6) छ-वार्ड, पुणे (7) ज्ञ जी० एच० क्यू० सर्किल 1, पुणे (8) जी० एच० क्यू० सर्किल-2 पुणे, (9) जी० एच० क्यू० सर्किल 3, पुणे (10) एस० एण्ड आर सर्किल, 1, पुणे (11) एस० एण्ड आर सर्किल 2, पुणे (12) एस० एण्ड आर० सर्किल 3, पुणे (13) एस० एण्ड आर सर्किल 4, पुणे. (14) आई० टी० ओ०, सी ओ एम सर्किल 1, पुणे (15) आई० टी० ओ०, सी ओ एम सर्किल 2, पुणे, (16) आई टी० ओ० , एस० एस० सी० 2, पुणे।

यह अधिसूचना 12-8-1975 से प्रभावी होगी ।

[सं० 1031]

New Delhi, the 12th August, 1975

INCOME-TAX

S.O. 4394.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of the I.T. Act, 1961, (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the Schedule appended to its Notification No. 679 (F.No. 187/2/74-II(AI) dated 20-7-1974 and No. 862 (F.No. 187/2/74-IT(AI) dated 26-3-1975, as amended from time to time.

Existing entries at item No. 1 in col. No. 3 against Sr. No. 19 of the Charge of C.I.T., I, Poona, shall be substituted by the following entries :—

1. (i) A-Ward, Poona (ii) B-Ward, Poona (iii) C-Ward, Poona (iv) E-Ward, Poona (v) F-Ward, Poona (vi) G-Ward, Poona (vii) J-Ward, Poona (viii) K-Ward, Poona (ix) M-Ward, Poona (x) N-Ward, Poona (xi) P-Ward, Poona (xii) R-Ward, Poona (xiii) S-Ward, Poona (xiv) W-Ward, Poona (xv) X-Ward, Poona (xvi) Special Survey Circle I, Poona.

Existing entries at item No. 1 col. 3 against S. No. 19A of the Charge of C.I.T. II, Poona, shall be substituted by the following entries.

1. (i) D-Ward, Poona (ii) H-Ward, Poona (iii) L-Ward, Poona (iv) Q-Ward, Poona (v) T-Ward, Poona (vi) U-Ward, Poona (vii) G.H.Q. Circle I, Poona (viii) G.H.Q. Circle II, Poona (ix) G.H.Q. Circle-III, Poona (x) S & R Circle-I, Poona (xi) S & R Circle-II, Poona (xii) S & R Circle III, Poona (xiii) S & R Circle-IV, Poona (xiv) I.T.O., Com. Cir. I, Poona (xv) I.T.O. Com. Cir. II, Poona (xvi) I.T.O., SSC II, Poona.

This notification shall take effect from 12-8-1975.

[No. 1031]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 13 अगस्त 1975

आय-कर

का० आ० 4395.—आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 126 के अधीन जारी की गई बोर्ड की अधिसूचना सं० 964 (फा० सं० 187/9/75-आई टी (ए आई) तारीख 15 जुलाई, 1975 में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, अर्थात:—

"यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1975 से प्रभावी होगी" के स्थान पर, "यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1975 से प्रभावी होगी" पढ़ें ।

[सं० 1036—फा० सं० 187/9/75-आई टी (ए आई)]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th August, 1975

INCOME-TAX

S.O. 4395.—In the Board's Notification No. 964 (F.No. 187/9/75-IT(AI) dated 15th July, 1975, issued under section 126 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the following amendment shall be made :

For : This Notification shall take effect from 1st August, 1975.

Read : This Notification shall take effect from 1st September, 1975.

[No. 1036—F.No. 187/9/75-IT(AI)]

शुद्धि-पत्र

आय-कर

का० आ० 4396.—आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 126 के अधीन जारी की गई बोर्ड की अधिसूचना सं० 1013 तारीख 2 अगस्त, 1975 (फा० सं० 187/12/75/-आई टी० (ए आई) में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, अर्थात्

"यह अधिसूचना 8 अगस्त, 1975 से प्रभावी होगी" के स्थान पर, "यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1975 से प्रभावी होगी" पढ़ें ।

[सं० 1037—फा० सं० 187/12/75-आई टी (ए आई)]

CORRIGENDUM

INCOME-TAX

S.O. 4396.—In the Board's Notification No. 1013 dated 2nd August, 1975 (F. No. 18/12/75-IT(AI) issued under section 126 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) the following amendment shall be made :—

For : This Notification shall take effect from 8th August, 1975.

Read : This Notification shall take effect from 1st September, 1975.

[No. 1037—F.No. 187/12/75-II(AI)]

शुद्धि-पत्र

आय-कर

का० आ० 4397—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई बोर्ड की अधिसूचना सं० 1011 तारीख 2 अगस्त, 1975 (फा० सं०-187/12/75-आई टी (ए आई) में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, अर्थात :—

"यह अधिसूचना 8 अगस्त, 1975 से प्रभावी होगी" के स्थान पर, "यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1975 से प्रभावी होगी" पढ़ें ।

[सं० 1038—फा० सं० 187/12/75-आई टी (ए आई)]

CORRIGENDUM

INCOME-TAX

S.O. 4397.—In the Board's Notification No. 1011 dated 2nd August, 1975 (F.No. 187/12/75-IT(AI) issued under sub-section (1) of section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the following amendment shall be made.

FOR : This Notification shall take effect from 8th August, 1975.

READ : This Notification shall take effect from 1st September, 1975.

[No. 1038—F. No. 187/12/75-IT(AI)]

आयकर

का० आ० 4398.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, समय-समय पर यथासंशोधित, अपनी अधिसूचना सं० 679 (फा० सं० 187/2/74-आई टी (ए आई) तारीख 20 जुलाई, 1964 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्द्धन करता है।

आयकर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
23क पश्चिमी बंगाल-2	कलकत्ता	3 कोआपरेटिव हाउसिंग सर्किल, कलकत्ता ।
23घ पश्चिमी बंगाल-5	कलकत्ता	4 कोआपरेटिव सर्किल, कलकत्ता ।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर 1975 से प्रभावी होगी ।

शुद्धि-पत्र

[सं० 1039—फा० सं० 187/9/75/आई टी (ए आई)]

टी० पी० झुनझुनवाला, सचिव

INCOME-TAX

S.O.4398.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following additions to the Schedule appended to its Notification No. 679 (F. No. 187/2/74-II(AI) dated 20th July, 1974, as amended from time to time.

Commissioner of Income-tax	Head Quarters	Jurisdiction
23A West Bengal-II	Calcutta	3 Co-operative Housing Circle, Calcutta.
23D West Bengal-V	Calcutta	4. Co-operative Circle, Calcutta.

This notification shall have effect from 1st Sept., 1975.

[No. 1039—F.No. 187/9/75-II (AI)]

T. P. Jhunjhunwala, Secretary

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 14 अगस्त 1975

आय-कर

का० आ० 4399.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं० 670 तारीख 6-7-1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

श्री कृष्ण जन्म भूमि ट्रस्ट, मथुरा के स्थान पर,
श्री कृष्ण जन्म भूमि, मथुरा, पढ़ें।

[सं० 1040—का० सं० 176/30/74-आई टी (ए आई)]

एम० के० पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 14th August, 1975

CORRIGENDUM

(Income-Tax)

S.O. 4399.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby amends its Notification No. 670 dated 6-7-1974 as follows:—

FOR : Shri Krishna Janam Bhoomi Trust, Mathura.

READ : Shri Krishna Janam Bhoomi, Mathura.

[No. 1040—F. No. 176/30/74-IT(A)]

M. K. PANDEY, Under Secy.

समाहर्ता कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कामनवरिथोरा

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

गुन्टूर 30 जून, 1975

का० आ० 4400.—1944 की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के 5वें नियम, के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों को, जिनका पद नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में बताए गये पद से कम नहीं है, उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में, उक्त सारणी के स्तंभ 3 में उल्लिखित नियमों के

अधीन तथा स्तंभ 4 में विनिर्दिष्टित सीमाओं तक, समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का प्राधिकार देता हूं ।

क्रम सं०	के० उ०शुल्क अधिकारी का पद	के० उ० शुल्क नियम सं०	सीमाएं, यदि कोई हों
1	2	3	4
1.	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	आर० जी० 1 के स्थान पर लाइसैन्सी द्वारा रखे जाने वाले निजी अभिलेखों के अनुमोदन के सम्बंध में 1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली का 173-जी (1) नियम ।	यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण के प्रयोजनार्थ सभी सूचनाओं के उपलब्ध होने पर और संबंधित लाइसैन्सी द्वारा इन अभिलेखों में ऐसी सभी अतिरिक्त सूचनाओं के प्रस्तुत करने पर, जैसा कि सहायक समाहर्ता द्वारा विभागीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सुझाव दिया जाए ।
			ऊपर बताई गई शक्ति का प्रत्यायोजन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाली पण्य वस्तुओं के संबंध में ही किया जाएगा ।

यह अधिसूचना दिनांक 1-7-75 से प्रभावी होगी ।

[सं० 2/75]

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE, KANNAVARITHOTA

(Central Excise)

Guntur, the 30th June, 1975

S.O. 4400.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of Central Excise Rules, 1944, I authorise the Central Excise Officers not below the rank mentioned in Column 2 of the table below, to exercise within their respective jurisdictions, the powers of Collector under the Central Excise Rules mentioned against each in column No. 3 of the Table subject to the restrictions in column No. 4 thereof :

Sl. No.	The rank of CE Officer	CE Rule No.	Restrictions, if any
1	2	3	4
1.	Assistant Collector of Central Excise	173-G(4) of CE Rules 1944 in regard to approval of private records of the licensee in lieu of R.G.1.	If all the information required for the purpose of levy of CE duty is available in the private records and the licensee concerned furnished such additional information in these records as the A.C. may suggest to meet the departmental requirements. This delegation is restricted to commodities falling under item 68 of the CE Tariff.

This Notification takes effect from 1-7-75.

[No. 2/75]

गुन्टुर, 26 जुलाई, 1975

सा० आ० 4401.—1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 5वें नियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उन अधिकारियों को, जिनका पद नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में बताए गए पद से कम नहीं है, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, उक्त सारणी के स्तंभ 3 में उपवर्णित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत तथा स्तंभ 4 में दी गई सीमाओं तक, समाहर्ता की शक्तियों में प्रयोग का प्राधिकार प्रदान करता हूं ।

क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी का पद	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम सं०	सीमाएं यदि कोई हैं
1	2	3	4
1.	उप समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के 173-ख(4), आर० जी०-1 के स्थान पर लाइसैन्सी के निजी अभिलेखों के अनुमोदन के संबंध में ।	—

[सं० 3/75 फाइल सी० सं० IV/8/1/75 एम०पी०-2 से जारी]

आई० जे० राव, समाहर्ता

Guntur, the 26th July, 1975

S.O. 4401.—In exercise of the powers conferred upon the under rule 5 of Central Excise Rules, 1944, I authorise the Central Excise Officer not below the rank mentioned in Column 2 of the table below, to exercise within their respective jurisdictions, the powers of Collector under the Central Excise Rules mentioned against each in column No. 3 of the table subject to the restrictions in columns No. 4 thereof.

Sl. No.	The rank of Central Excise Officer	Central Excise Rule No	Restrictions, if any
1	2	3	4
1.	Deputy Collector of Central Excise	173-G(4) of Central Excise Rules, 1944 in regard to approval of private records of the licensee in lieu of R.G.1.	—

[No. 3/75—Issued from file C.No. IV/8/1/75-MP.2]

I. J. RAO, Collector

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय

कानपुर, 15 सितम्बर, 1975

का० आ० 4402—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 173-सी(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा आदेश देता हूं कि दिनांक 22-2-75 की अधिसूचना संख्या 2/75 केन्द्रीय शुल्क, दिनांक 1 अक्टूबर, 1975 से विखण्डित हो जायेगी ।

[संख्या 7/75-पत्र संख्या सी (17)(8) 32-वीसी/75/41030]
कु० श्री दिलिपसिंहजी, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

Kanpur, the 15th September, 1975

S.O. 4402.—In exercise of the powers conferred upon me by Rule 173-C(1) of the Central Excise Rules, 1944, I hereby order that Notification No. 2/75-CE dated February 22nd, 1975 shall stand rescinded with effect from the 1st October, 1975.

[No. 7/75—C. No. V(17) (8) 32-VC/75/40287]
K. S. DILIPSINHJI, Collector

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1975

का० आ० 4403—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—

1. इस आदेश का नाम सूती वस्त्र (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1975 है ।

2. सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश 1948 में—

(क) खंड 3 में मद (ककक) के पश्चात निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात :—

"(ककक) (i)"नियंत्रित कपड़े" से ऐसी किस्म या वर्ग या विनिर्देश का कपड़ा अभिप्रेत है जिसकी बाबत खंड 22 के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा अधिकतम कीमतें या वे सिद्धान्त जिनके आधार पर और वह रीति जिससे विनिर्माता द्वारा अधिकतम कीमतें अवधारित की जाएंगी, विनिर्दिष्ट किए गए हैं; और

(ii) "अनियंत्रित कपड़े" से ऐसा कोई कपड़ा अभिप्रेत है जिसकी बाबत, खंड 22 के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा अधिकतम कीमतें या वे सिद्धान्त जिनके आधार पर और वह रीति जिससे विनिर्माता द्वारा अधिकतम कीमतें अवधारित की जाएंगी, विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं;

(ख) खंड 23 के उपखंड (2) में, मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात :—

"(ii) किसी "नियंत्रित कपड़े" का विक्रय या परिदान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने वस्त्र आयुक्त को पहले ही ऐसे कपड़े की, जिसकी लम्बाई का माप 45 सेन्टीमीटर हो, पूरी चौड़ाई में नमूना, खंड 22 के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा सभी विनिर्दिष्ट चिह्नन पहली तह पर सम्यकतः स्टाम्पित करके नहीं भेज दिए हों और साथ ही उसके विनिर्माण संबंधी विशिष्टियों और जहां खंड 22 के उपखंड (i) के पैरा (क) के अधीन अधिकतम कारखाना द्वारा कीमत विनिर्दिष्ट की गई हैं या जहां वे सिद्धान्त जिनके आधार पर और वह रीति जिससे ऐसी अधिकतम कीमतें अवधारित की जा सकेंगी, उस उपखण्ड के पैरा (कक) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई है वहां उस रीति जिससे वह संगणना की गई है, की बाबत सही और ठीक जानकारी ऐसे प्रपत्रों और ऐसी रीति से जो वस्त्र आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं नहीं भेज दी हों;

(iii) किसी अनियंत्रित कपड़े का विक्रय या परिदान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने 15 सेन्टीमीटर × 15 सेन्टीमीटर विस्तार के ऐसे कपड़े का नमूना तथा उसके विनिर्माण संबंधी विशिष्टियों की बाबत सही और ठीक जानकारी ऐसे प्रपत्रों और रीति में जो वस्त्र आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, वस्त्र आयुक्त को पहले ही नहीं भेज दी हों।"

[फा० सं० 6/4/75-टैक्स(I)]
दौलत राम, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 23rd September, 1975

S.O. 4403.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, namely:—

1. This Order may be called the Cotton Textiles (Control) Second Amendment Order, 1975.

2. In the Cotton Textiles (Control) Order, 1948,—

(a) in clause 3, after item (aa), the following item shall be inserted, namely :—

"(aaa)(i) "controlled cloth" means any variety or class or specification of cloth for which the maximum prices for the principles on which and the manner in which the maximum prices are to be determined by a manufacturer have been specified by the Textile Commissioner under clause 22; and

(ii) "non-controlled cloth" means any cloth for which the maximum prices for the principles on which and the manner in which the maximum prices are to be determined by a manufacturer have not been specified by the Textile Commissioner under clause 22;

(b) in sub-clause (2) of clause 23, for item (ii) the following item shall be substituted, namely:—

"(ii) any "controlled cloth" unless he has previously sent to the Textile Commissioner, a full width sample of such cloth measuring 45 cms. in length, with all the markings specified by the Textile Commissioner under clause 22 duly stamped on the face-plait together with true and accurate information in such forms and in such manner as may be specified by the Textile Commissioner, in this behalf, about the manufacturing particulars thereof and where the maximum ex-factory price has been specified under paragraph (a) of sub-clause (1) of clause 22 or where the principles on which and the manner in which such maximum prices may be determined have been specified under paragraph (aa) of that sub-clause, about the manner in which the same has been calculated;

(iii) any non-controlled cloth unless he has previously sent to the Textile Commissioner a sample of such cloth of the dimension of 15 cms. by 15 cms. together with true and accurate information in such forms and in such manner as may be specified by the Textile Commissioner in this behalf about the manufacturing particulars thereof."

[File No. 6/4/75-Tex.(I)]
DAULAT RAM, Under Secy.

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1975

का० आ० 4404.—सर्वश्री फार ईस्ट ब्राडकास्टिंग एसोसिएटस आफ इंडिया नई दिल्ली को सामान्य मुद्रा क्षेत्र से लाइसेंस में संलग्न सूची के अनुसार स्टूडियो उपकरण के आयात के लिए 25,147 रुपए लागत बीमा भाड़ा मूल्य का एक सीमाशुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/2340580 दिनांक 12-12-63 इस शर्त के अधीन जारी किया गया था कि इस सीमा शुल्क निकासी परमिट के मद्दे आयातित माल को भारत में आयात करने की तारीख से 10 वर्षों के भीतर पुनः निर्यात किया जाएगा। अब उन्होंने सीमाशुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी परमिट खो गया है। विषयाधीन सीमाशुल्क निकासी परमिट नई दिल्ली में पंजीकृत करवाया गया है और उस का पूरा-पूरा उपयोग कर लिया गया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र भेजा है। मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/2340580 दिनांक 12-12-63 खो गया है और यह कि आवेदक को उक्त सीमा-शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी की जाए। मूल प्रति रद्द की जाती है।

[संख्या 567(65-वी)/63-64/एल-7/690]

नवरेखा शर्मा, उप-मुख्य नियंत्रक कृते मुख्य नियंत्रक

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

New Delhi, the 19th September, 1975

S.O. 4404.—M/s. For East Broadcasting Associates of India, New Delhi were granted C.C.P. No. P/J/2340580 dated 12-12-1963 for the import of Studio Equipment as per list attached for a C.I.F. value of Rs. 25,147 from GCA, with condition that the goods imported against this CCP will be Re-exported within Ten years from the date of importation of said goods into India. They have now requested for the issue of Duplicate copy of the CCP on the grounds that the original CCP has been lost. The CCP in question has been registered with New Delhi, and the amount utilised fully.

In support of their above contention, the applicants have submitted an affidavit. I am satisfied that the original CCP No. P/J/2340580, dated 12-12-1969 has been lost and the a duplicate copy of the said CCP may be issued to the applicant. The original copy is cancelled.

[File No. 567(65-V)/63-64/L-VII/690]

NAVREKHA SHARMA, Dy. Chief Controller

For Chief Controller

नई दिल्ली, 19 सितम्बर 1975

आदेश

का० आ० 4405.—सर्वश्री शार्डलो इंडिया लि०, मद्रास को चेकोस्लोवाकिया से 608 के वी ए/486 के एक स्कोडा डीजल जनरेटिंग सेट के आयात के लिए 4,97,500 रुपए मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० पी०/सी०/2065648/टी/सीआर/47/एच/37-38 जी०सी०-4 दिनांक 6-6-73 प्रदान किया गया था, जिसे बाद में 550 के वी ए के लग डी० जी० सेट के जर्मन जनवादी गणतन्त्र से आयात के लिए 4,97,500 रुपए के बजाए 3,52,800 रुपए के लागत बीमा-भाड़ा मूल्य के लिए संशोधित करने की अनुमति दी गई। आगे फिर 4,33,000 रुपए (चार लाख तैंतीस हजार रुपए मात्र) के बढ़ाए गए मूल्य के लिए आयात की मद जर्मनी जनवादी गणतन्त्र से 730 के वी ए के एक डी० जी० सेट के लिए संशोधित की गई। यह उल्लेख किया गया है कि मूल लाइसेंस के प्रति कुछ भी धनराशि उपयोग नहीं की गई है। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस (दोनों प्रतियां) अस्थानस्थ हो गई/खो गई हैं। यह भी बताया गया है कि लाइसेंस (दोनों प्रतियां) किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं किया गया था। अब लाइसेंस की अनुलिपि प्रतियों की 4,33,000 रुपए (चार लाख तैंतीस हजार रुपए मात्र) मूल्य के लिए आवश्यकता है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी पब्लिक के सामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि मूल आयात लाइसेंस खो गया है। इसलिए, यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1965 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9(सी० सी०) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सर्वश्री शार्डलो इंडिया लि०, मद्रास को जारी किए गए मूल आयात लाइसेंस सं० पी/सी/2065648 दिनांक 6-6-73 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

3. उक्त आयात लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों की अनुलिपि प्रतियां अलग से जारी की जा रही हैं।

[सं० 5(52)/73-74/सी० जी० 4]

चन्द्र गुप्त, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 19th September, 1975

S.O. 4405.—M/s. Shardlow India Ltd., Madras were granted an import licence No. P/C/2065648/T/CR/47/H/37-38/CG.IV dated 6-6-1973 for Rs. 4,97,500 for the import of One Skoda Diesel Generating Set of 608 KVA/486 KW from Czechoslovakia, which was subsequently amended to allow import of One No. D.G. Set of 550 KVA from G.D.R. for the cif value of Rs. 3,52,800 instead of Rs. 4,97,500. The item of import was further amended to One No. D.G. Set of 730 KVA from G.D.R. for the enhanced value of Rs. 4,33,000 (Rupees four lakhs and thirty-three thousand only). The total amount utilised against the original licence is stated to be Nil. They have applied for the issue of duplicate Customs and Exchange purposes copies of the said import licence on the ground that the original licence (both copies) have been misplaced/lost. It is further stated that the licence (both copies) were not registered with any Customs authorities. The duplicate licence is now required for Rs. 4,33,000 (Rupees four lakhs and thirty three thousand only).

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before the Notary Public Madras. I am accordingly satisfied that the original import licence has been lost. Therefore, in exercise of powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original import licence No. P/C/2065648 dated 6-6-1973 issued to M/s Shardlow India Ltd., Madras is hereby cancelled.

3. The duplicate Customs and Exchange Control purposes copies of the said import licence are being issued separately.

[No. 5(52)/73-74/CG.IV]

CHANDRA GUPTA, Dy. Chief Controller

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

बंगलौर, 1 अगस्त, 1975

का० आ० 4406.—सर्वश्री प्रकाश ब्लाक मेकर्स, स्टेशन रोड, हुबली को अप्रैल मार्च, 75 नीति के अनुसार एक्स-रे फिल्मों को छोड़कर फोटोग्राफिक निगेटिव्ज के आयात के लिए 40,000 रुपए (रुपया मुद्रा क्षेत्र) के लिए एक आयात लाइसेंस संख्या : पी/एस/1411961/टी/ओआर/53/एक्स/37-38, दिनांक 11-9-74 प्रदान किया गया था। अब उन्होंने

उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति बिलकुल भी उपयोग किए बिना खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और यह कि अब मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति की आवश्यकता लाइसेंस के पूर्ण मूल्य के लिए है।

उपर्युक्त तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है। मैं सन्तुष्ट हूं कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई और निदेश देता हूं कि इसकी अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी की जानी चाहिए। उपर्युक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[संख्या : आईटीसी. एसएसआई. डीआई.सी. 520. ए एम. 74. एनपी. एनसी.]

आर० जयराम नायडू, उप-मुख्य नियंत्रक

(Office of the Dy. Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

Bangalore, the 1st August, 1975

S.O. 4406.—M/s. Prakash Block Makers, Station Road, Hubli were granted import licence No. P/S/1411961/T/OR/53/X/37-38 dated 11-9-1974 for Rs. 40,000 (RPA) for import of Photographic Negatives excluding X-ray Films as per A.M. 75 policy. They have now applied for duplicate copy of Exchange Control Purposes copy of the above licence on the ground that the original of the above Exchange Control Purposes copy of licence, has been lost/misplaced without having been utilised at all and that the duplicate copy of Exchange Control Purposes copy of the above licence now required is for the full value of the licence i.e. Rs. 40,000.

In support of the above contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original Exchange Control Purposes copy of the above licence has been lost and direct that a duplicate copy of Exchange Control Purposes copy of the above licence should be issued to the applicant. The original Exchange Control Purposes copy of the above licence is hereby cancelled.

[No. ITC.SSI.DI.C.520.AM.74.NP.NC.]
R. JAYARAM NAIDU, Dy. Chief Controller

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1975

का०आ० 4407—हज समिति अधिनियम, 1959 (1959 का 51 वां) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा हज समिति नियम, 1963 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

(1) इन नियमों को हज समिति (संशोधन) नियम 1974 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हज समिति नियम, 1963 (आगे इन्हें उक्त नियम कहा गया है) के नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा यथा :

"14. कार्यकारी अधिकारी केन्द्र सरकार के नियंत्रण में रहेगा :— धारा 12 के उप धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कार्यकारी अधिकारी केन्द्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा और उसके प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा। तथापित रोजमर्रा के अपने कामकाज में किमि वह समिति द्वारा दिये गये निर्देशों को मान्यित करेगा।"

3. उक्त नियम के नियम 17 में, उप नियम (3) के स्थान पर निम्न उप नियम रखा जाएगा, यथा :—

"17(3) कार्यकारी अधिकारी, नियम 14 के प्रावधानों के अधीन, समिति द्वारा निर्विष्ट अधिकारों का प्रयोग करेगा।"

4. उक्त नियम के नियम 21 के उप नियम (2) में :—

"(क) धारा (i) में संख्या "25" और "50" के स्थान पर क्रमशः "100 और "200" रखी जाएगी।

(ख) धारा (ii) में संख्या "50" और "250" के स्थान पर संख्या क्रमशः "200" और "1000" रखी जाएगी;

(ग) धारा (iii) में संख्या "250" के स्थान पर संख्या "1000" रखी जाएगी।"

[सं० एम(हज)118-1/30/74]
अकबर खलीली, निदेशक (वाना एवं हज)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 22nd August, 1975

S.O. 4407.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Haj Committee Act, 1959 (51 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Haj Committee Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Haj Committee (Amendment Rules, 1974).

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 14 of the Haj Committee Rules, 1963 (hereinafter referred to as the said rules), the following rule shall be substituted, namely:—

"14. Executive Officer to be under the control of the Central Government:—The Executive Officer appointed under sub-section (1) of section 12 shall be responsible to the Central Government and shall be under its administrative control. He shall, however, carry out the directions given by the Committee in the day to day performance of his duties".

3. In rule 17 of the said rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"17(3). The Executive Officer shall, subject to the provisions of rule 14, exercise such powers as the Committee may direct".

4. In sub-rule (2) of rule 21 of the said rules:—

(a) in clause (i) for the figures "25" and "50", the figures "100" and "200" shall respectively be substituted;

(b) in clause (ii) for the figures "50" and "250", the figures "200" and "1000" shall respectively be substituted;

(c) in clause (iii), for the figure "250", the figure "1000" shall be substituted.

[No. M(Haj) 118-1(30)/74]
AKBAR KHALEELI, Director (Wana & Haj)

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1975

का० आ० 4408.—कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 9 की उपधारा (3) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री जे० एलेक्जैण्डर, आई० ए० एस० (कर्नाटक 1963) को 25 अगस्त, 1975 के पूर्वाह्न से अन्य आदेशों तक कयर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा० सं० 13/3/75-सी० एण्ड० एस०]

एस० एन० घोष, उप-निदेशक (औ० स०)

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Industrial Development)

New Delhi, the 23rd September, 1975

S.O. 4408.—In eexercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), the Central Government hereby appoints Shri J. Alexander, IAS (Karnataka-1963) as Chairman of the Coir Board with effect from the forenoon of 25th August, 1975, until further orders.

[F. No. 13/3/75-C&S]

S. N. GHOSH, Dy. Director (IC)

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1975

का०आ० 4409.—केन्द्रीय सरकार, महेश व्यौपार भंडार कम्पनी लिमिटेड धुरी द्वारा अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन मान्यता के पुनर्नवीकरण के लिये किये गये आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग से परामर्श करके, विचार कर लेने पर, और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कम्पनी को कपास की अग्रिम संविदाओं की बाबत 6 नवम्बर, 1975 से लेकर 5 नवम्बर, 1976 तक (जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त कम्पनी वायदा बाजार आयोग द्वारा समय समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेगी।

[फा० सं०/12 (17)-आई० टी०/75]

यू० एस० राणा, उप-सचिव

(Department of Civil Supplies & Co-operation)

New Delhi, the 27th September, 1975

S.O. 4409.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952) by the Mahesh Beopar Bhandar Co. Ltd., Dhuri and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Company for a further period of one year from the 6th November, 1975 to the 5th November, 1976 (both days inclusive) in respect of forward contracts in kapas.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Company shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(17)-IT/75]

U. S. RANA, Dy. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1975

का० आ० 4410.—यतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालय द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भंडारकरण, संचलन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बन्द कर दिया है जो कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं।

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय की उक्त अधिनियम की धारा 12 ए की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है।

अतः अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37), यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है:—

क्रम सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन जिस पद पर स्थायी है	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के अधीन जिस पद पर थे	भारतीय खाद्य निगम को स्थानान्तरण की तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री एन० सुन्दरम	वरिष्ठ लिपिक	सहायक अधीक्षक	1-3-69
2.	,, के० मदन मोहन	सहायक अधीक्षक	,,	,,
3.	,, एम० एस० कृष्णामूर्ति	तकनीकी सहायक	तकनीकी सहायक	16-7-75
4.	,, सी० पी० सुन्दर	,,	,,	1-3-69

1	2	3	4	5
5.	श्री सैयद मसूद अहमद	तकनीकी सहायक	तकनीकी सहायक	1-3-69
6.	,, एस० डी० तिस्सेलवम	वरिष्ठ गोदाम रक्षक-	वरिष्ठ गो० र०	,,
7.	,, एस० वी० सूर्यनारायना	सहायक गोदी अधीक्षक	,,	,,
8.	,, मिरजा अमीर अली बेग	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	व० गो० र०	,,
9.	,, बाई रतनास्वामी	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	,,
10.	,, आर० वेंकटारमन	टैली क्लर्क	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	,,
11.	,, एम० एस० जेम्स अस्ल राज	,,	,,	,,
12.	,, ए०एस० सत्यनारायन	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	,,	,,
13.	,, के० आर० कृष्णामूर्ति	कनिष्ठ क्लर्क	वरिष्ठ क्लर्क	,,
14.	श्रीमती कुसुम पारथासारथी	,,	,,	,,
15.	श्री पी० डी० शर्मा	वरिष्ठ क्लर्क	,,	,,
16.	श्रीमती डी० कोथाई	कनिष्ठ क्लर्क	,,	,,
17.	,, जी० वी० मनवानी	,,	,,	,,
18.	डी० अलेक्जान्डर	,,	,,	,,
19.	,, जे० एन० सरकारी	गोदी अधीक्षक	गोदी अधीक्षक	,,
20.	,, वी० सुब्बू	गोदाम अधीक्षक	गोदाम अधीक्षक	,,
21.	,, मोहम्मद इशाक	टैली क्लर्क	टैली क्लर्क	,,
22.	,, के० विश्वानाथ मूर्ति	गुण निरीक्षक	गुण पर्यवेक्षक	,,
23.	,, आर० मनोहरन	कनिष्ठ क्लर्क	कार्यालय अधीक्षक	,,
24.	,, अमर नाथ	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	सहायक गोदी अधीक्षक	,,
25.	श्रीमती जी० सरोजा	वरिष्ठ क्लर्क	लेखापाल	,,
26	श्री एस० सी० लाल	,,	,,	,,
27.	श्रीमती ए० सारदा	,,	उप लेखापाल	,,
28.	श्री आर० नेल्लियाप्पन	---	गोदी निरीक्षक	,,
29.	,, एन० के० कुंजाप्पन	गोदान क्लर्क	गोदाम क्लर्क	,,
30.	,, ए० कुप्पूस्वामी	टैली क्लर्क	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	,,
31.	,, रामाचन्द्रम	गोदाम क्लर्क	गोदाम क्लर्क	,,
32.	,, जिओल इसलाम जुबारी	,,	,,	,,
33.	,, मोह० नूर खान	,,	,,	,,
34.	,, एम० डी० दोडालिंगगैथा	गोदाम क्लर्क	सहायक ग्रेड-2	,,
35.	,, सैयद अहमद	सहायक ग्रेड-3	सहायक ग्रेड-3	,,
36.	,, के० वेंकटारनम	गोदाम क्लर्क	,,	,,
37.	,, मीर मकबील हुसैन	डस्टिंग आपरेटर	डस्टिंग आपरेटर	,,
38.	,, जी० एम० याजदोनी	पिकर	,,	,,
39.	,, एम० सेबासतियान	चौकीदार	चौकीदार	,,
40.	श्री एस० एन्थोनी दास	चौकीदार	चौकीदार	,,
41.	,, शैक युसुफ अली	,,	,,	,,
42.	,, अलैथ मासिया	,,	,,	,,
43.	,, मोहम्मद हुसैन/मोह० गालिब	,,	,,	,,
44.	,, एस० पी० दुराईराज	,,	,,	,,
45.	,, टी० के० कारथीगेयान	,,	,,	,,
46.	,, एम० मुनीअप्पा	,,	,,	,,
47.	,, मोह० बिन हसन	,,	,,	,,
48.	,, अहमद मोइनूद्दीन	,,	,,	,,
49.	,, देव बहादुर	,,	,,	,,
50.	,, के० पी० अब्दुल लतीफ	,,	,,	,,
51.	,, नाययनाप्पा	,,	,,	,,
52.	,, शैक मोह० एस० के० हुसैन	,,	,,	,,
53.	,, वी० मुथुस्वामी	,,	,,	,,
54.	,, डी० चन्द्रसेकरन	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
55.	,, एन० के० नारायनन	चौकीदार	चौकीदार	1-3-69
56.	,, जी० नारायनैया	,,	,,	,,
57.	,, किशन लाल	,,	,,	,,
58.	,, अहमद सालुद्दीन सुपुत्र अहमद धयाद्दीन	,,	,,	,,
59.	,, मोहम्मद अली/अनवर अली	,,	,,	,,
60.	,, अब्दुल करीम/फतेह अली	,,	,,	,,
61.	,, सैयद गालिब	,,	,,	,,
62.	,, अहमद हुसैन/एस० के० हुसैन	,,	,,	,,
63.	,, मोह० खाजा सुपुत्र मो० शाह अली	,,	,,	,,
64.	,, मोह० खाजा/नोह० मकदूम	,,	,,	,,
65.	,, सी० रानास्वामी/पुत्र मालिहा	,,	,,	,,
66.	,, मोह० अब्दुलल्ला/पुत्र हुसैन साब	,,	,,	,,
67.	,, मोह० हुसैन/मोह० इब्राहिम	,,	,,	,,
68.	,, एल० फिलक बहादुर	,,	,,	,,
69.	,, डी० धर्म दत्त	,,	,,	,,
70.	श्री एम० राजूपिल्लाई	,,	,,	,,
71.	,, के० दोराइराजन	,,	,,	,,
72.	,, सैयद मिराज	,,	,,	,,
83.	,, मोह जांगीर	,,	,,	,,
74.	,, हबीब अहमद बिन अली	,,	,,	,,
75.	,, बी० प्रसाद राव	चपरासी	चपरासी	,,
76.	,, मोह गालिब	,,	,,	,,
77.	,, एम० बालाराम	,,	,,	,,
78.	,, एम० वैकटेस्वारलू	पिकर	पिकर	,,
79.	श्रीमती जे० अरोगियामारी	स्वीपर	स्वीपर	,,
80.	,, बीसजन बी	सिफ्टर	सिफ्टर	,,

[सं० 52/8/73-खा०नि० (खंड-4)]
एल० मिंगलियाना, उप-सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 12th September, 1975

S.O.4410.—WHEREAS the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directors of Food, the Procurement Directorates and the Pay and Accounts Offices of the Department of Food which under section 13 of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India;

AND WHEREAS the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directorates and the Pay and Accounts offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the circular of the Central Government dated the 16th April, 1971, intimated, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-section (1) of section 12A of the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 12-A of the Food Corporation Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby transfers the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them :

Sl. No.	Name of the Officer/Employee	Permanent Post held under the Central Government	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of transfer to the Food Corporation of India
1	2	3	4	5
1.	Shri N. Sundaram	Senior Clerk	Assistant Superintendent	1-3-69
2.	,, K. Madan Mohan	Asstt. Superintendent	Do.	Do
3.	,, M.S. Krishnamurthy	Technical Assistant	Technical Assistant	16-7-75

1	2	3	4	5
4.	Shri C.P. Chandar	Technical Assistant	Technical Assistant	1-3-69
5.	,, Syed Masood Ahmed	—	Do.	1-3-69
6.	,, S.D. Tiruselvam	Senior Godown Keeper	Senior Godown Keeper	1-3-69
7.	,, S.V. Suryanarayana	Assistant Dock Superintendent	Do.	1-3-69
8.	,, Mirza Amir Ali Baig	Sneior Godown Keepr	Do.	1-3-69
9.	,, Y. Rathnaswamy	Do.	Do.	1-3-69
10.	,, R. Venkataraman	Tally Clerk	Junior Godown Keeper	1-3-69
11.	,, M.S. James Arul Raj	Do.	Do.	1-3-69
12.	,, A.S. Satyanarayana	Junior Godown Keeper	Do.	1-3-69
13.	,, K.R. Kishnamurthy	Junior Clerk	Senior Clerk	1-3-69
14.	Smt. Kusuma Parthasarthy	Do.	Do.	1-3-69
15.	,, P.V. Sarma.	Senior Clerk	Do.	1-3-69
16.	Smt. B. Kothai	Junior Clerk	Do.	1-3-69
17.	Shri G.V. Manwani	Do.	Do.	1-3-69
18.	,, D. Alexander	Do.	Do.	1-3-69
19.	,, J.N. Sarkary	Dock Superintendent	Dock Superintendent	1-3-69
20.	,, V. Subbu	Godown Superintendent	Godown Superintendent	1-3-69
21.	,, Mohmad Isaq	Tally Clerk	Tally Clerk	1-3-69
22.	,, K. Vishwanatha Murthy	Quality Inspector	Quality Supervisor	1-3-69
23.	,, R. Manoharan	Junior Clerk	Do.	1-3-69
24.	,, Amarnath	Senior Godown Keeper	Assistant Dock Superintendent.	1-3-69
25.	Smt. G. Saroja	Senior Clerk	Accountant	1-3-69
26.	Shri S.C. Lal	Do.	Do.	1-3-69
27.	Smt. A. Sarada	Do.	Deputy Accountant	1-3-69
28.	Shri R. Nelliappan	—	Dock Inspector	1-3-69
29.	,, N. K. Kunjappan	Godown Clerk	Godown Clerk	1-3-69
30.	,, A. Kuppuswamy	Tally Clerk	Junior Godown Keeper	1-3-69
31.	,, Ramachandar	Godown Clerk	Godown Clerk	1-3-69
32.	,, Ziaul Islam Zubairi	Do.	Do.	1-3-69
33.	,, Mohd. Noor Khan	Do.	Do.	1-3-69
34.	,, M.D. Doddalingaiah	Godown Clerk	Assistant Grade-II	1-3-69
35.	,, Syod Ahmed	Assistant Grade III	Asstt. Grade-III	1-3-69
36.	,, K. Venkataratnam	Godown Clerk	Do.	1-3-69
37.	,, Meer Maqbeel Hussain	Dusting Operator	Dusting Operator	1-3-69
38.	,, G.M. Yazdani	Picker	Do.	1-3-69
39.	,, M. Sebastian	Watchman	Watchman	1-3-69
40.	,, S. Anthony Dass	Do.	Do.	1-3-69
41.	,, Shaik Yousuf Ali	Do.	Do.	1-3-69
42.	,, Balaiah/Massiah	Do.	Do.	1-3-69
43.	,, Mohmed Hussain/Md. Galib	Do.	Do.	1-3-69
44.	,, S.P. Burairaj	Do.	Do.	1-3-69
45.	,, T.K. Karthigeyan	Do.	Do.	1-3-69
46.	,, M. Muniappa	Do.	Do.	1-3-69
47.	,, Md. Bin Hasan	Do.	Do.	1-3-69
48.	,, Ahmed Moinuddini	Do.	Do.	1-3-69
49.	,, Dev Bahadur	Do.	Do.	1-3-69
50.	,, K.P. Abdul Lathif	Do.	Do.	1-3-69
51.	,, Nayayanappa	Do.	Do.	1-3-69
52.	,, Shaik Mohd. ,, S.K.Hussain	Do.	Do.	1-3-69
53.	,, B. Muthuswamy	Do.	Do.	1-3-69
54.	,, D. Chandrasekaran	Do.	Do.	1-3-69
55.	,, N.K. Narayanan	Do.	Do.	1-3-69
56.	,, G. Naryanaiah	Do.	Do.	1-3-69
57.	,, Kishanlal	Do.	Do.	1-3-69
58.	,, Ahmed Saluddin s/o Ahmed Ghaiyauddin	Do.	Do.	1-3-69
59.	,, Mohamood Ali/Anwar Ali	Do.	Do.	1-3-69
60.	,, Abdul Kareem/Fateh Ali	Do.	Do.	1-3-69
61.	,, Syed Galib	Do.	Do.	1-3-69

1	2	3	4	5
62.	Shri Ahmed Hussain/S.K. Hussain	Watchman	Watchman	1-3-69
63.	,, Mohd. Khaja S/o Mohd. Shah Ali	Do.	Do.	1-3-69
64.	,, Md. Khaja/Md. Maqdoom	Do.	Do.	1-3-69
65.	,, C. Ranaswamy S/o Maliah	Do.	Do.	1-3-69
66.	,, Md. Abdullah S/o Hussain Sab	Do.	Do.	1-3-69
67.	,, Mohd. Hussain/Mohd. Ibrahim	Do.	Do.	1-3-69
68.	,, L. Thilak Bahadur	Do.	Do.	1-3-69
69.	,, D. Dharam Datt	Do.	Do.	1-3-69
70.	,, M. Rajupillai	Do.	Do.	1-3-69
71.	,, K. Dorairajan	Do.	Do.	1-3-69
72.	,, Syed Miran	Do.	Do.	1-3-69
73.	,, Mohd. Jangir	Do.	Do.	1-3-69
74.	,, Habeeb Ahmed Bin Ali	Do.	Do.	1-3-69
75.	,, V. Prasad Rao	Peon	Peon	1-3-69
76.	,, Mohd. Ghalib	Do.	Do.	1-3-69
77.	,, L. Balaram	Do.	Do.	1-3-69
78.	,, M. Venkatesvarlu	Picker	Picker	1-3-69
79.	Smt. J. Arogiamary	Sweeper	Sweeper	1-3-69
80.	,, Besjan Bee	Sifter	Sifter	1-3-69

[No. 52/8/73-FC-III (Vol. IV)]
L. HUMINGLIANA, Dy. Secy.

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय
(संस्कृति विभाग)
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1975

का०आ० 4411.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1104, तारीख 7 मई, 1959 को, जहां तक उसका संबन्ध आगरा, नई दिल्ली, पटना, कलकत्ता, विशाखापतनम, मद्रास, औरंगाबाद, बड़ौदा और भोपाल स्थित पुरातत्व विभाग के अधीक्षकों की सम्पदा अधिकारियों के रूप में नियुक्ति से है, अधिक्रांत करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में वर्णित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं। उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
1	2
अधीक्षक—पुरातत्वज्ञ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उत्तर पश्चिमी सर्किल-देहरादून/नई दिल्ली उत्तरी सर्किल, आगरा, मध्य-पूर्वी सर्किल, पटना, पूर्वी सर्किल-कलकत्ता, मध्य-दक्षिणी सर्किल, बंगलौर, दक्षिण-पूर्वी सर्किल, हैदराबाद, सीमान्त (फ्रन्टियर) सर्किल, श्रीनगर, पश्चिमी सर्किल, बड़ौदा, दक्षिण-पश्चिमी सर्किल, औरंगाबाद, और केन्द्रीय सर्किल, भोपाल।	उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्थान।

[सं० 23/13/75-एम]
एम० एन० देशपांडे, महानिदेशक पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE
(Department of Culture)
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
New Delhi, the 20th September, 1975

S.O.4411.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupation) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No. S.O. 1104, dated the 7th May, 1959, in so far as it relates to the appointment of Superintendents, Department of Archaeology, Agra, New Delhi, Patna, Calcutta, Visakapatnam, Madras, Aurangabad, Baroda and Bhopal, as estate officers, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in columns 1 of the Table below, being gazetted officers of Government to be estate officers for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred, and peform the duties imposed on estate officers by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in column 2 of the said Table.

TABLE

Designation of Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
1	2
Superintending Archaeologists, Arachaeological survey of India, North-Western Circle, Dehra Dun/New Delhi, Northern Circle, Agra, Mid-Eastern Circle, Patna, Eastern Circle, Calcutta, Southern Circle, Madras, Mid-Southern Circle, Bangalore, South-Eastern Circle, Hyderabad, Frontier Circle, Srinagar, Western Circle, Baroda, South-Western Circle, Aurangabad and Central Circle, Bhopal.	Premises under the administrative control of the Archaeological Survey of India situated within the local limits of their respective jurisdiction.

[No. 23/13/75-M]
M. N. DESHPANDE, Director General
Ex-Officio Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1975

का० आ० 4412.—मौरमुगाओ डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का०आ० 1438, तारीख 26 अप्रेल, 1975 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 10 मई, 1975 के पृष्ठ 1760-61 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ।

और उक्त राजपत्र 24 मई, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मौरमुगाओ डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मौरमुगाओ डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1975 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. मौरमुगाओ डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965 के खंड 36 में, "8" अंक के स्थान पर "10" अंक रखा जाएगा ।

[फा० सं० एल०डी०जी 6/7/75]

वी० शंकरलिंगम, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport wing)

New Delhi, the 22nd September, 1975

S.O. 4412.—Whereas certain draft scheme further to amend the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 1760-61 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 10th May, 1975 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 1438, dated the 26th April, 1975, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 24th May, 1975;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme to amend the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965, namely:—

1. Short title and commencement—(1) This Scheme may be called the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Clause 36 of the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme 1965, for the figure "8", the figure "10" shall be substituted.

[File No. LDG-6/7/75]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1975

का० आ० 4413.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में इंडियन एयर लाइन्स के प्रबन्धतंत्र से संबन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी थिरू टी० पालानीयप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या इंडियन एयर लाइन्स, कोचीन (मद्रास क्षेत्र) के प्रबन्धतंत्र की, सर्वश्री सी० जॉन, टी० एम० जार्ज, ए० सी० पुरुषोत्तमन्, बी० के० मुरुगन, बी० एस० जयराम, एम० बी० जॉर्ज, पी० शिवन और टी० कृष्णन को, जो नियमित/आकस्मिक/दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किए गए थे, 24 नवम्बर, 1973 से नियोजन से वंचित करने की कार्यवाई न्यायोचित है यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं और किस तारीख से ?

[संख्या एल-11011(2)/75-डी०-2-बी]

हरबंस बहादुर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 13th August, 1975

S.O. 4413.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Indian Airlines and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Thiru T. Palaniappan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Is the action of the management of the Indian Airlines, Cochin (Madras Region) is justified in denying employment from 24-11-1973 to Sarvashri C. John, T. M. George, A. C. Purshothaman, V. K. Murugan, V. S. Jayaram, N. V. George, P. Sivan, and T. Krishnan, who were appointed on regular/casual/daily rated basis? If not, to what relief are the said workmen entitled and from what date?

[No. L-11011(2)/75-D. IIB]
HARBANS BAHADUR, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1975

का० आ० 4414.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के राउरकेला इस्पात संयंत्र, डाकघर राउरकेला-1, जिला सुन्दरगढ़, के प्रबन्ध तंत्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के राउरकेला इस्पात संयंत्र डाकघर राउरकेला, जिला सुन्दरगढ़ के प्रबन्धतंत्र ने, पुर्णपाणी चूनापत्थर और डोलोमाईट खानें, डाकघर पूर्णपाणी जिला सुन्दरगढ़ में नियोजित सहायक, श्री एस० पी० जेना को अपने को वरिष्ठ सहायक पद के लिए अपने नाम की प्रस्थापना पेश करने का उचित अवसर दिया और क्या उपयुक्त पद पर उनकी पदोन्नति न करना उनके लिए न्यायोचित था ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-29012/1/75-डी०-3 बी]

ORDER

New Delhi, the 22nd August, 1975

S.O. 4414.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Rourkela Steel Plant of Messrs Hindustan Steel Limited, Post Office Rourkela-1, District Sundergarh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of Rourkela Steel Plant of Messrs Hindustan Steel Limited, Post Office Rourkela, District Sundergarh afforded reasonable opportunity to Shri S. P. Jena, Assistant employed at Purnapani Limestone & Dolomite Mines, Post Office Purnapani, District Sundergarh in offering himself for the post of Senior Assistant and were justified in not granting him promotion to the above post ? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-29012/1/75-D. IIB]

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1975

का० आ० 4415.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (मैसर्स नेशनल कोल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड) की पाथाखेरा कोलियरी डाकघर पाथाखेरा, जिला बेतुल (मध्य प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र से संबन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड मैसर्स नेशनल कोल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड की पाथाखेरा कोलियरी, डाकघर पाथाखेरा, जिला बेतुल (मध्य प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र का, श्री सी०पी० रघु को, उस अवधि के लिए जिस के दौरान उन्होंने भंडारों में काम किया था, जैसी कि किसी भंडार निकासी लिपिक को अनुज्ञेय स्वीकार्य मजदूरी न देना और उन्हें भंडार से किसी अन्य अनुभाग में चपरासी के रूप में स्थानान्तरित करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-22012/27/74-एल० आर०-4 डी०ओ०-3बी]

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1975

S.O. 4415.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Pathakhera Colliery of Messrs National Coal Development Corporation Limited, Post Office Pathakhera, District Betul (Madhya Pradesh), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of Pathakhera Colliery of Messrs National Coal Development Corporation Limited, Post Office Pathakhera, District Betul (Madhya Pradesh) is justified in not paying to Shri C. P. Raghu the wages as admissible to a Store Issue Clerk for the period he had worked in the stores and in transferring him from the stores to a different section as a peon? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-22012/27/74-LRIV-D.O. IIIB]

आदेश

का०आ० 4416.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्री शिव शंकर अग्रवाल, खान स्वामी, बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय के निकट, गुमानपुरा, कोटा के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या श्री शिव शंकर अग्रवाल, खान स्वामी, बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय के निकट गुमानपुरा, कोटा की, श्री मरुमथी, पुत्र श्री राजू, पत्थर कटर, रंगवारी मेसनरि बलुआ पत्थर खान, कोटा की सेवाएं 28 जनवरी, 1975 से समाप्त करने की कार्यवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-29011/104/75-डी०ओ० 3 बी]

एस० एच० एस० अय्यर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

S.O. 4416.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Shri Shiv Shankar Agarwal, Mine Owner, Near Multipurpose Secondary School, Gumanpura, Kota and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of Shri Shiv Shankar Agarwal, Mine Owner, Near Multipurpose Higher Secondary School, Gumanpura, Kota in terminating the services of Shri Marumathi, son of Shri Raju, Stone Cutter, Rangwari Masonary Sand Stone Mines, Kota with effect from 28th January, 1975 is justified? If not, to what relief the workmen is entitled to?

[No. L-29011/104/75-DO IIIB]

New Delhi, the 24th September, 1975

S.O. 4417.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Rajasthan, Jaipur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs. Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur and their workmen, which was received by the Central Government on the 16th September, 1975.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL. RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. C.I.T. 8/72

Ref:—Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation Department of Labour and Employment order No. L-290011(58)/72-LR IV, dated 23-10-72.

In the matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

Cement Mines Karamchari Sangh, Sawai Madhopur,

AND

Jaipur Udyog Limited, Sawai Madhopur.

APPEARANCES :

For the Sangh	Shri Prem Kishan Sharma
For the Management	Shri Dinesh Sharma
Date of Award	5-9-75.

AWARD

The Central Government has made the following reference to this Tribunal for adjudication:—

"Whether the demand of Cement Mines Karamchari Sangh for the grant of special allowance to workmen transferred from Phalodi Quarry to Bajrakho group of Limestone Quarries is justified. If so, to what relief are such transferees entitled?"

The statement of claim has been filed on behalf of the Cement Mines Karamchari Sangh, Phalodi. It has been pleaded in the statement of claim that the Jaipur Udyog Ltd. Sawaimadhopur has its quarries at Phalodi Bajrakho. Bhegonpura and Lachmipur. All of them are situated within a distance of 4 miles. The distance between the Phalodi Mines and Bajrakho Mines is about 10/12 miles. It is alleged that these two mines have separate Standing Orders and the Standing Orders of the Phalodi Quarry are not enforceable to the employees of Bajrakho Mines. According to clause 13 of the Standing Order of Phalodi Quarry "All workmen are liable to be transferred either from one department to another or from one section to another, at the discretion of the Company". The management started transfering the workmen from Phalodi Quarry to Bajrakho Mines violating the provision of the Standing Orders. The dispute was raised by another Union questioning transfer of one workman from Phalodi quarry to Bajrakho mines but the matter was settled between the parties. It is contended that when a workman is transferred from Phalodi Quarry to Bajrakho mines he has to maintain two separate houses one at Phalodi and the other at Bajrakho mines, putting him to great difficulties not only physically and mentally but also economically. The Union has, therefore, prayed that the workmen who are transferred to Bajrakho mines be allowed an allowance @ 50 per cent of the total wages of that workman.

In reply it is pleaded on behalf of the management of the Jaipur Udyog Ltd., Sawaimadhopur that Phalodi quarry and Bajrakho mines are parts of the same establishment under the same owner and under the same management, and they constituted one integrated whole. It is also averred that Standing Orders which are applicable to Phalodi Quarry are also applicable to Bajrakho mines. It is admitted that the management has been transferring workmen from Phalodi quarry to Bajrakho mines and vice versa from the very inception and these transfers are made in rotation for one year only. The workmen who are transferred from Phalodi quarry to Bajrakho mines are given an option to keep their families at, Phalodi quarry itself and all the benefits which the workmen get continued to be available to him. In cases where the workmen prefer to carry members of their family at Bajrakho mines they are provided with living accommodation, free Kerosene oil for light, free medical aid, etc., etc. It has also been stated that the difference if any between the living conditions of Phalodi quarry and Bajrakho mines is very insignificant. It is contended that it is wrong to say that the transferee has to suffer any loss on account of his transfer. It is, therefore, prayed that the claim put up by the Union has no justification and should be rejected.

In evidence the Assistant Secretary of the Cement Mines Karamchari Sangh has been examined and in rebuttal the Personnel Officer of the Company has been examined.

I have read the evidence on record and heard the arguments put forth on behalf of the parties. It has not been disputed that the transfers are made in rotation and the transferee workmen are given the option to return the accommodation at Phalodi quarry if they wanted to keep their families there. Therefore, the point to be examined is whether the workmen who is transferred to Bajrakho mines is really put to any significant disadvantage in comparision to the benefits that he was getting at Phalodi. Simply because a workman is transferred from one section to another section of the same management, he is not entitled to any special allowance. It has not been stated in evidence by the Assistant Secretary of the Sangh that the work at Bajrakho mines is of different nature or that the workman is put to any disadvantage physically, mentally or economically. It has not been denied on behalf of the Sangh that at Bajrakho mines the transferee workman is provided with living accommodation, free kerosene oil for light, medical aid and other facilities provided at Phalodi quarry. The Case Law cited on 1967 FLR Vol. 14 page 37 referred to on behalf of the Sangh deals with special allowance for a separate kind of work. In the instant case before us it is not the case of the Sangh as observed above that a separate kind of work is being taken at Bajrakho mines which is different from the work taken at Phalodi. It is also significant to note that the transfers are made in rotation in one year, that means every workman is transferred for a particular period only and the workman may not like to shift his family to Bajrakho mines for a short period only. The management has therefore allowed workman to continue occupying accommodation at Phalodi also, though another accomodation is also provided for him at Bajrakho mines. In the absence of any cogent evidence to prove that the transferee workmen are put to significant disadvantage when transferred to Bajrakho mines, the claim put forwarded by the Sangh can not be accepted. Moreover, the Sangh itself perhaps is not in position to specify how much allowance may be allowed because it is not able to know what disadvantage a workman is put to when transferred to Bajrokho mines. Under the circumstances I consider that the claim of the Sangh can not be allowed. Hence the reference is answered accordingly.

U. N. MATHUR, Judge.

[No.Lt. 29011/58/72-LR-IV/D IIIB]

S.O. 4418.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs. Star Construction and Transport Company, Sankari West Post Office, Salem District and their workmen, which was received by the Central Government on the 19th September, 1975.

BEFORE THIRU T. PALANIAPPAN, B.A., B.L.,
PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL,
MADRAS

(Constituted by the Central Government)

Thursday, the 11th day of September, 1975
Industrial Dispute No. 12 of 1975.

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the management of M/s. Star Construction and Transport Company, Sankari West, Salem District).

BETWEEN

Shri V. Chellan, S/o Shri Vellayan, Driller, C/o Shri C. Selvadas, ICL Wesigh-Bridge, Sankari West, Salem District (PIN-637303).

AND

Messrs, Star Construction and Transport Company, Sankari West Post Office, Salem District.

Reference :—

Order No. L-29011/63/74-LR.IV, dated 12-2-1975 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for final hearing on Thursday the 28th day of August, 1975 upon perusing the reference, claim and counter statemants and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal R.T. Dorai-Swami and P. Sathasivam, Advocates appearing for the worker and of Thiruvalargal T. Raghavan and T. K. Sashadri, Advocates for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

The Government of India by its order No. L-29011/63/74-LR.IV, dated 12-2-1975, Ministry of Labour have referred the following dispute for adjudication by this Tribunal :—

"Whether the action of the management of Messrs. Star Construction and Transport Company, Sankari West Post Office, Salem District, in terminating the services of Shri V. Chellan, Driller, is justified If not, to what relief is the workman entitled."

2. The claimant has filed a claim statement alleging that he was employed in the respondent company as a Jack Hammer Driller since 1972 ; that because his second marriage was suddenly fixed on 7-6-1974, he applied for 10 days leave from 6-6-74 to 18-6-1974; that after the marriage he was having stomach trouble due to peptic ulcer and therefore had medical treatment under Dr. P. Arthanariswamy, M.B.B.S., Assistant Surgeon, Government Head Quarters Hospital, Salem from 18-6-1974 to 4-7-1974 and the management marked him absent and called for his explanation. An enquiry was held by the management on 5-7-1974. The petitioner produced the necessary Medical Certificate at the time of the enquiry and it was not accepted and the claimant was dismissed from service and the dismissal order was issued on 26-7-1974. The claimant alleges that the dismissal order was issued on 26-7-1974, The claimant alleges that the dismissal is not valid and prayes for reinstatement.

3. The respondent has filed a counter statement contending that the petitioner absented himself for more than 8 days without leave and so charges were framed and domestic enquiry was held and that the leave letter was not bona fide and there was violation of the provisions of the Standing Orders. The management contends that the correct punishment mentioned in the Standing Orders had been awarded and that there was no violation of the principles of natural justice in the enquiry.

4. Issues.—Sri V. Chellan,T. No. 44 was a Driller in the respondent company. The charges were framed against him for continuous absence from 7-6-1974 for 9 days. Ex. M-2 is the copy of the charge memo issued to him mentioning that his absence was more than 8 days without sanction of the leave is against the Company's Standing Orders and that he is liable to be punished under clause 19(1)(f)(q). He was also called upon to give his explanation for the same. Sri Chellan received the memo on 22-6-1974 evidenced by Ext. M-3 at Karumapurathanur. Admittedly, no explanation was received. Then the management issued a second memo, copy of which is Ex. M-4. He received the same. He was also informed to be present for the enquiry. The management held a domestic enquiry in respect of the charge against him. He was also informed under Ex. M-4 that the domestic enquiry would be held on 5-7-1974 at 10 A.M. and Thiru T. K. Madhava Rao will be the Enquiry Officer and that he may examine his witnesses.

5. On the side of the management, Sri Varadarajan was examined. His evidence discloses that the delinquent Sri Chellan did not report for duty with effect from 7-6-1974 and he was not granted any leave and that he absented himself for more than 8 days. Sri Chellan did not cross-examine this witness, Sri Varadarajan. His evidence is that he was absent from 7-6-1974, but he applied for grant of leave and he produced a medical certificate alleged to have been issued by one Dr. P. Arthanariswamy, M.B.B.S., Assistant Surgeon, Authorised Medical Attendant, Government Headquarters Hospital, Salem-1. As per section 10(c) of the Standing Orders of the Company sick leave can be granted only on production of a certificate from the doctor, either appointed or nominated by the Company. But the delinquent did not choose to produce the medical certificate from the Company Doctor. His explanation is that he fell ill while at Salem and was under the treatment of the Doctor from 18-6-1974 to 4-7-1974. The Enquiry Officer has rightly disbelieved his evidence, because the documentary evidence Ex. M-5, which is the acknowledgement shows that he was at Warumapurathanur (i.e.) within the limits of Sankari on 1-7-1974. Thus it was clearly established that he was in Sankari. Nothing prevented him from getting medical leave from the Company doctor. Further the Company's Doctor, who examined him on 5-7-1974 has given a certificate to the effect that the delinquent is not suffering from any illness. It is also significant to note that the Salem Docor's medical certificate is dated 4-7-1974. His case is that he was under the treatment of Salem Doctor from 18-6-1974 to 4-7-1974. If it was really true, there is no reason why the worker could not obtain a medical certificate from him on 18-6-1974 itself.

6. The delinquent relied on Ex.M-1, which is a leave application dated 10-6-1974. Ex.M-1 was filed to show that because his second marriage was suddenly fixed at Salem, he applied for leave from 6-6-1974 to 18-6-1974. The leave applied for under Ex.M-1, dated 10-6-1974 has been rejected. It is seen that he was a chronic absentee. The management was able to prove the charge against him. There is absolutely no justification for his absence for more than 8 days without grant of leave.

7. The learned counsel for the delinquent argued that at any rate, the punishment is excessive and under section 11-A of the Industrial Disputes Act, the Industrial Tribunal has got powers to alter the punishment. I have carefully gone through the entire records. I find that the delinquent is a chronic absentee and that he was very careless in the matter of attendance. If any light punishment is awarded, then it would be cited as a precedent and that the Company would not be able to maintain discipline. I do not find any extenuating circumstances for altering or modifying the punishment. The Standing Orders enables the Company to dismiss him from service for continuous absence for more than 8 days without justifiable cause. The Company has rightly imposed the correct punishment. I find no grounds to interfere in the matter of punishment.

8. In the result, an award is passed holding that the termination is justified and that he is not entitled to any relief. There will be no order as to costs.

Dated, this 11th day of September, 1975.

T. PALANIAPPAN, Industrial Tribunal

WITNESSES EXAMINED

For both sides : Nil.

DOCUMENTS MARKED

For workmen : Nil.

For management :

Ex.M-1/10-6-74—leave application of Thiru V. Chellan.

Ex.M-2/17-6-74—Charge sheet issued to Thiru V. Chellan. (copy).

Ex.M-3/22-6-74—Postal acknowledgement signed by Thiru V. Chellan.

Ex.M-4/27-6-74—Enquiry notice issued to Thiru V. Chellan.

Ex.M-5/1-7-74—Postal acknowledgement signed by Thiru V. Chellan.

Ex.M-6/1-7-74—Explanation of Thiru V. Chellan and requesting extension of leave.

Ex.M-7/5-7-74—Reply of Thiru V. Chellan to Ex.M-4.

Ex.M-8/4-7-74—Medical fitness certificate. (copy).

Ex.M-9/5-7-74—Medical certificate issued by the Company Doctor (copy).

Ex.M-10/5-7-74—Enquiry proceedings (copy).

Ex.M-11—Findings of the Enquiry Officer.

Ex.M-12/24-7-74—Letter from Thiru V. Chellan to the Management requesting to take him back into service.

Ex.M-13—Standing orders of the Company.

T. PALANIAPPAN, Industrial Tribunal,

Note : Parties are directed to take return of their document/s within six months from the date of the award.

[L-29011/63/74-LR-IV/D-IIB]

S. H. S. IYER, Section Officer (Spl.).

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1975

का० आ० 4419.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रूपराय मैकेनिकल वर्क्स, रेलवे रोड़, फगवाड़ा, नामक स्थापन से सबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1974 की फरवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(37)/75–पी०एफ० 2)]

New Delhi, the 23rd September, 1975

S.O. 4419.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Rooprai Mechanical Works, Railway Road, Phagwara, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1974.

[No. S. 35019/37/75-PF. II]

का० आ० 4420.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि भंडारी मैटल वर्क्स जालना रोड, औरंगाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थान को लागू किए जाने चाहिएं।

अतः, अब, उक्त अधिसूचना की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1974 के सितम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018(44)/75–पी०एफ०-2)]

S.O. 4420.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Mesrs. Bhandari Metal Works Jalna Road, Aurangabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1974.

[No. S. 35018/44/75-PF. II]

का० आ० 4421.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शानाभाई जिभाई भाई पटेल, चिखोदरा आनन्द, जिला कैरा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के नवम्बर के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(74)/75–पी०एफ० 2]

S.O. 4421.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Shanabhai Jibhaibhai Patel, Chikhedra Anand, District Kaira, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1973.

[No. S. 35019/74/75-PF. II]

का० आ० 4422.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टैक मशीनरी लिमिटेड, प्लाट नं० 14 से 16, जी० आई० डी० सी० स्टेट, वाटवा, अहमदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के दिसम्बर के इकतीसवें दिन प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(94)/75–पी०एफ० 2(i)]

S.O. 4422.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Mesrs. Tak Machinery Limited, Plot Nos. 14 to 16, G.I. D.C. Estate, Vatva, Ahmedabad have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1974.

[No. 35019/94/75-PF. II(i)]

का० आ० 4223.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 दिसम्बर, 1974 से टैक मशीनरी लिमिटेड, प्लाट नं० 14 से 16 जी० आई० डी० सी० एस्टेट वात्वा अहमदाबाद नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019 (94/75-पी०एफ० 2 (ii)

S.O. 4423.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty first day of December, 1974 the establishment known as Messrs Tak Machinery Limited, Plot Nos. 14 to 16, G.I.D.C. Estate, Vatva, Ahmedabad for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/94/75-PF. II(ii)]

का० आ० 4424.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कर्नाटक कैमीकल्स एण्ड पेस्टिसाइड्स, बी०एम० रोड़ कन्डली पोस्ट, जिला हसन, नामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की अप्रैल के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(97)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 4424.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Karnataka Chemicals and Pesticides, B. M. Road, Kandli Post, Hassan have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1975.

[No. S. 35019/97/75-PF. II]

का०आ० 4425.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिन्द आइस और कोल्ड स्टोरेज, डाकघर, गोस्वामी नुआ गांव बेरहामपुर-3 उड़ीसा, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1975 के मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं०एस-35019(102)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 4425.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hind Ice and Cold Storage, Post Office Goswami Nua Gam, Berhampur-3 Orissa, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1975.

[No. S. 35019/102/75-PF. II]

का०आ० 4426.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वीनस इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन, कल्पना टाकिज के सामने, गान्धी रोड, अहमदाबाद 380001 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारी की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1974 की जुलाई के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(109)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 4426.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as the Venus Electric Corporation, Opposite Kalpana Talkies. Gandhi Road, Ahmedabad-380001 have agreed that the provisions of the Employees' provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1974.

[No. S. 35019/109/75-PF. II]

का०आ०4427.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जैम्स इंजीनियरिंग वर्क्स, 43-जी, आई० डी० सी० एस्टेट ओधव जिला अहमदाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1974 को फरवरी के अट्ठारवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(110)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 4427.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jacks Engineering Works, 43, G.I.D.C. Estate, Odhav District Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty-eight day of February, 1974.

[No. S. 35019/110/75-PF. II]

का० आ० 4428.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कादिला कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, घोड़सार, अहमदाबाद-8 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1974 के जून के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019/114/75-पी०एफ० 2]

S.O. 4428.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Cadila Chemicals (Private) Limited, Ghodasar, Ahmedabad-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1974.

[No. S. 35019/114/75-PF. II]

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1975

का० आ० 4429.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एम के० प्रोडक्ट शाप संख्या 165, मट मंदिर के पास उल्लास नगर (महाराष्ट्र), नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और (कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के दिसम्बर, के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[संख्या एस०-35018(16)/75-पी०एफ०-2]

New Delhi, the 24th September, 1975

S.O.4429.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs M. K. Products, Shop No. 165. Near Mut Mandir, Ulhasnagar-5 (Maharashtra) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1973.

[No. S. 35018/16/75-PF. II]

का० आ० 4430.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिमाटेक्स कारपोरेशन, टोडी एस्टेट, पहली मंजिल, सेन मिल कम्पाउण्ड लोवर परेल, मुम्बई, 13 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1974 के जून के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35018(26)/75-पी०एफ०- 2]

S.O. 4430.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Himatex Corporation, Todi Estate. Ground Floor, Sun Mill Compound. Lower Parel, Bombay-13, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1974.

[No. S. 35018(26)/75-PF. II]

का० आ० 4431.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मेन्लिन ट्रान्सपोर्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, प्रस्टिज चैमबर्स, कल्याण स्ट्रीट मुम्बई, 400009 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1974 के मार्च के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018(27) 75-पी०एफ० 2)]

S.O. 4431.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Menlym Transport (Private) Limited, Prestige Chambers, Kalyan Street, Bombay-400009, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Penison Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1974.

[No. S-35018(27)/75-PF. II]

का० आ० 4432.— केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् इकतीस दिसम्बर, 1973 से वाइकल्ला स्टाफ कोआपरेटिव कैनटीन लिमिटेड सी/ओ भारतीय रिजर्व बैंक वाईक्कला, बम्बई-8 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं० एस-35018 (29)/75-पी० एफ० 2 (ii)]

S.O. 4432.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st day of December, 1973, the establishment known as Messrs Reserve Bank of India, Byculla Staff Co-operative Canteen Limited, C/o Reserve Bank of India, Byculla, Bombay-8, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(29)/75-PF.II(ii)]

का० आ० 4433.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भारतीय रिजर्व बैंक, वाइकल्ला स्टाफ कोआपरेटिव कैन्टीन लि० सी०/ओ० भारतीय रिजर्व बैंक वाइकल्ला बम्बई-8 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः, अब उक्त अधिसूचना की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 के दिसम्बर के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35018 (29)/75-पी० एफ० 2(i)]

S.O. 4433.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Reserve Bank of India, Byculla Staff Cooperative Canteen Limited, C/o Reserve Bank of India, Byculla, Bombay-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1973.

[No. S. 35018(29)/75-PF. II(i)]

का० आ० 4434.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० डी० विल्स रावत (प्राइवेट) लिमिटेड, 40 एम० जी० रोड़, जी०, पी० ओ० आक्स संख्या 375 मुम्बई, जिसमें (1) स्टेशन रोड, सुरेन्दर नगर, (2) आगरा रोड़, नासिक स्थित उसकी शाखाएं सम्मिलित हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1973 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018(32)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 4434.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A. D. Wills Rawat (Private) Limited, 4, M. G. Road, GPO Box No. 375, Bombay including its branches at (1) Station Road, Surendranagar, (2) Agra Road, Nasik, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1973.

[No. S. 35018(32)/74-PF.II]

का० आ० 4435.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रामदास सोधराज ओर्केज मिल कम्पाउन्ड साकी नाका, कुर्ला अन्धेरी रोड़, मुम्बई-72 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1972 के दिसम्बर के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35018(33)/75-पी०एफ० II]

S.O. 4435.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Ramdas Subbraj, Orkeys Mill Compound Saki Naka, Kurla Andheri Road, Bombay-72, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1972.

[No. S. 35018(33)/75-PF.II]

का० आ० 4436.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जयहिन्द रोड लाइन्स, ट्रान्सपोर्ट कन्ट्रैक्टर्स, 324-ए इब्राहीम रहमतुल्ला रोड, पिधोनी, मुम्बई 3 जिसमें 2823, कालूपुर कोटनी रंग खजुरिनों खान्चों, अहमदाबाद स्थित इसकी शाखा भी सम्मिलित है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1974 के नवम्बर के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018(35)/75-पी०एफ०-II(i)]

S.O. 4436.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jaihind Roadlines, Transport Contractors, 324-A, Ibrahim Rahimtoola Road, Pydhonie, Bombay-3 including its branch at 2823, Kalupur Kotni Rang, Khajurino Khancho, Ahmedabad-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of November, 1974.

[No. S. 35018(35)/75-PF.II(i)]

का० आ० 4437.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 30 नवम्बर, 1974 से मैसर्स जयहिन्द रोड लाइन्स ट्रांसपोर्ट कन्ट्रैक्टर्स, 325-ए इब्राहीम रहमतुल्ला रोड, पिधासी मुम्बई-3 जिसमें 2823 कालूपुर कोटनी रंग खजुरिनों खान्चो, अहमदाबाद स्थित इसकी शाखा भी सम्मिलित है नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35018(35)/75-पी० एफ० II(ii)]

S.O. 4437.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirtieth day of November, 1974, the establishment known as Messrs Jaihind Roadlines, Transport Contractors, 324-A, Ibrahim Rahimtoola Road, Pydhonie, Bombay-3 including its branch at 2823, Kalupur Kotni Rang, Khajurino Khancho, Ahmedabad-1, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35018(35)/75-PF.II(ii)]

का० आ० 4438.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स महावीर टाकीज, अमरावती नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के अक्टूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018(42)/75-पी०एफ०II]

S.O. 4438.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as The Mahavir Talkies, Amravati, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1974.

[No. S. 35018(42)/75-PF.II]

का० आ० 4439.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्वाती ट्रैडर्स, गणपति पेठ, सांगली नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के अक्टूबर के सत्ताइसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०35018(63)/73पी०एफ०II]

S.O. 4439.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Swati Traders, Ganapti Peth Sangli, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty seventh day of October, 1973.

[No. S. 35018/63/73-PF.II]

का० आ० 4440.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स के० सिवसुब्रामणियम, स्पिनर्स (प्राईवेट) लिमिटेड, अनुप्पर पलायम, तिरुप्पुर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 के मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस-35019(35)/75-पी० एफ० II]

S.O. 4440.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. K. Sivasubramaniam, Spinners (Private) Limited, Anuppar Palayam, Tiruppur, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1975.

[No. S. 35019/35/75-PF.II]

का० आ० 4441.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स सोसाइटी लिमिटेड, जलाहाली डाकघर, बंगलौर-56001, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की फरवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[संख्या एस-35019(40)/75-पी०एफ०-II]

S.O. 4441.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bharat Electronics Co-operative Society Limited, Jalahalli Post, Bangalore-56001 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1975.

[No. S. 35019/40/75-PF.II]

का० आ० 4442.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) इम्पलाइज कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, डालमिया पुरम डाकघर, जिला तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु की कोआपरेटिव मिनी सुपर मार्केट यूनिट, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिसूचना की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के जून के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(89)/75-पी०एफ० II]

S.O. 4442.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Cooperative Mini Super Market, Unit of Dalmia Cement (Bharat) Employees Co-operative Stores Limited Dalmiapuram Post Office, District Tiruchirapalli, Tamilnadu, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1974.

[No. S. 35019/89/75-PF.II]

का० आ० 4443.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मणिलाल बी० उपाध्याय, जावेरी निवास, शेरी नं० 9 पचनाथ, राजकोट नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के दिसम्बर के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(100)/75-पी०एफ० II]

S.O. 4443.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Menilal B. Upadhyay, Zaveri Niwas, Sheri No. 9 Panchnath Rajkot, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1973.

[No. S. 35019/100/75-PF.II]

का०आ० 4444.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कच्छ मिनरल्स, बन्दर रोड, मान्डवी, जिला कच्छ नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की जून के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(105)/75-पी०एफ० II)(i)]

S.O. 4444.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kutch Minerals, Bunder Road, Mandvi, District Kutch, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June 1974.

[No. S. 35019(105)/75-PF.II(i)]

का०आ० 4445.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् तीस जून, 1974 से मैसर्स कच्छ मिनरल्स, बन्दर रोड, मान्डवी, जिला कच्छ नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019(105)/75-पी०एफ० II(ii)]

S.O. 4445.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 30th day of June, 1974, the establishment known as Messrs Kutch Minerals, Bunder Road, Mandvi, District Kutch, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(105)/75-PF.II(ii)]

का०आ० 4446.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए०बी०सी० सर्जिकल कम्पनी, गान्धी रोड, अपोजिट जुम्मामस्जिद, अहमदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के अक्तूबर के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(108)/75-पी०एफ० II]

S.O. 4446.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A.B.C. Surgical Company Gandhi Road, Opposite Jumma Masjid, Ahmedabad have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of October, 1973.

[No. S. 35019(108)/75-PF.II]

का०आ० 4447.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनिवर्सिटी प्रोडक्शन बोर्ड, कैपिटल प्रोजेक्ट भवन, गुजरात कालिज कम्पाउन्ड, एलिसब्रिज, अहमदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के अक्तूबर के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(111)/75-पी०एफ० II(i)]

S.O. 4447.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs University Book Production Board, Capital Project Bhavan, Gujarat College Compound, Ellisbridge, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of October, 1972.

[No. S. 35019(111)/75-PF.II(i)]

का०आ०4448.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् इकतीस अक्तूबर, 1972 से यूनीवर्सिटी बुक प्रोडक्शन बोर्ड, कैपिटल प्रोजेक्ट भवन, गुजरात कालिज कम्पाउन्ड, एलिसब्रिज, अहमदाबाद नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019(111)/75-पी०एफ० II]

S.O. 4448.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty-first day of October, 1972, the establishment known as Messrs University Book Production Board, Capital Project Bhavan, Gujarat College Compound, Ellisbridge, Ahmedabad for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/111/75-PF.II(ii)]

का. आ. 4449.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स के. एल. कन्धारी इन्डस्ट्रीज, 129 अन्तिम बस स्टैण्ड, कुबेर नगर के सामने बंगला एरिया, डाकघर सरदार नगर, अहमदाबाद नामक स्थापन सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 की फरवरी के अठ्ठाइसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस.-35019(118)/75-पी. एफ. 2]

S.O. 4449.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs K. L. Kandhari Industries, Opposite 129 Last Bus Stand, Kubernagar, Bunglow Area, Post Office Sardar Nagar, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty-eighth day of February 1973.

[No. S. 35019(118)/75-PF.II]

का. आ. 4450.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ओस्वाल स्टील्स, प्लाट संख्या 263, सैक्टर 24, फरीदाबाद नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19 के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 की मार्च के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. एस-35019(121)/73-पी. एफ. 2]

S.O. 4450.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Oswal Steels, Plot No. 263, Sector 24 Faridabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1973.

[No. S. 35019(121)/73-PF.II]

का० आ० 4451.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अजीत सोप फैक्टरी गोमतीपुर रोड, उषा टाकीज के निकट अहमदाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 की जुलाई के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जावेगी।

[संख्या एस-35019(124)/75-पी० एफ० 2]

S.O. 4451.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ajit Soap Factory, Gomtipur Road, Near Usha Talkies, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1974.

[No. S. 35019(124)/75-PF.II]

का० आ० 4452.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इलेक्ट्रो पोर्सलीन इन्डस्ट्रीज, प्लोट नं० 16 और 17 जी० आई० डी० सी० इन्डस्ट्रियल टाउनशिप, डाक घर ओधव, अहमदाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के अक्टूबर के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(127)/75-पी०एफ०II]

S.O. 4452.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Electro Porcelain Industries, Plot Nos. 16 and 17, G. I. D. C. Industrial Township Post Office Odhav, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1974.

[No. S. 35019(127)/75-PF.II]

का० आ० 4453.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स राधाकृष्ण वीविंग वर्क्स, बखारिया बन्दर रोड, बिलिमोर, जिला बुलसर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के अक्टूबर के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35019(136)/74-पी० एफ० II]

S.O. 4453.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Radhakrishna Weaving Works, Vakharia Bundar Road, Bilimora, District Bulsar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of October, 1974.

[No. S. 35019(136)/74-PF : II]

का० आ० 4454.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स यूनीक टेक्सटाइल्स, सी-36, उद्योग नगर, नवसारी, जिला-बुलसर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1975 की फरवरी के अट्ठाइसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(137)/75-पी० एफ० II]

S.O. 4454.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Unique Textiles, C-36, Udyognagar, Navsari, District Bulsar have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the Twenty-eighth day of February, 1975.

[No. S. 35019(137)/74-PF. II]

का० आ० 4455.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1974 से केरल स्टेट फाइनेन्शियल एन्टरप्राइजेज लिमिटेड, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय XX/137, सीलाबाग, सिविल लाइन्स रोड, त्रिचूर-4 नामक स्थापन को जिसके अन्तर्गत—

(1) टी० सी० 22/682, हरिविलास, कान्वेन्ट रोड, त्रिवेन्द्रम,

(2) सील बिल्डिंग, आट्टिंगल,

(3) क्विलोन डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक बिल्डिंग, क्विलोन,

(4) जयभारतम् बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन के निटक, पुनलूर,

(5) एलेप्पी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, एलेप्पी,

(6) XVII 125-बी, मार्केट रोड, एर्नाकुलम,

(7) एम० डी० कमर्शियल सेन्टर, कोट्टायम्,

(8) थोडूपूजा जंक्शन, थोडूपूजा,

(9) हैन्डीक्राफ्ट्स बिल्डिंग, राउन्ड वैस्ट, त्रिचूर-1,

(10) हायर पर्चेज डिवीजन, परमेक्काव् देवसयम् बिल्डिंग, पैलेस रोड, त्रिचूर-1,

(11) सिजो लैन्ड, गुरुवयूर रोड, कुन्नमकुलम्,

(12) 10/276, सुलतानपेट, पालघाट-1,

(13) मयूर रोड, कालीकट,

(14) म्यूनिसिपल शापिंग सेन्टर बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, डाउनहिल मालापुरम,

(15) पी० एम० 142, क्यूजमूवालम् रोड, नारायण पार्क कन्नानौर,

स्थित उसकी शाखायें भी आती हैं, उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35019/171/74-पी० एफ० II]

S.O. 4455.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January 1974, the establishment known as The Kerala State Financial Enterprises Limited, Registered Office, XX/137, Leela Baugh, Civil Lines Road, Trichur-4 including its branches situated at:—

(1) T.C. 22/682, Harivilas, Convent Road, Trivendrum,

(2) Neela Building, Attingal,

(3) Quilon District Co-operative Bank Building, Quilon,

(4) Jayabharatham Buildings, Near Railway Station, Punalur,

(5) Alleppcy District Co-operative Bank Building, Alleppey,

(6) XVII/125-B, Market Road, Ernakulam,

(7) M.D. Commercial Centre, Kottayam,

(8) Thoudupuzha Junction, Thoudupuzha,

(9) Handicrafts Building, Round West, Trichur.

(10) Hire Purchase Division, Paramekkavu Devaswon Building, Palace Road, Trichur-1,

(11) Lizy Land, Guruvayoor Road, Kunnamkulam,

(12) 10/276, Sultanpet, Palghat-1,

(13) Mavoor Road, Calicut.

(14) Municipal Shopping Centre Building, 2nd Floor, Downhill, Malappuram,

(15) P.M. 142, Pay yambalam Road. Narayana Park, Cannanore,

for the purpose of the said proviso.

[No. S. 35019/171/74-PF.II]

का० आ० 4456.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि राम सरन दास किसोरी लाल पूर्ण न्यास औषधालय, ग्रीन एवेन्यू, अमृतसर नामक स्थापन के सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के सितम्बर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

[संख्या एस-35019(241)/74-पी०एफ-2]
आर०पी नरूला, अवर सचिव

S.O. 4456.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of employees in relation to the establishment known as the Ram Saran Dass Kishori Lal Charitable Trust Hospital, Green Avenue, Amritsar have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1974.

[No. S. 35019(241)/74-PF.II]
R. P. NARULA, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1975

का० आ० 4457.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय तेल सम्मिश्रण लिमिटेड, पी-68, सी०सी० आर० डाइवर्जन मार्ग, कारपुर कलकत्ता और भारतीय तेल सम्मिश्रण लिमिटेड, पिर पौ ट्राम्बे, मुम्बई-74 को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देता है।

2. उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों पर है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो उसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी थीं,

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो,—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी में दी गई विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे ; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा नकदी और वस्तु के रूप में दिए जाने वाले उन फायदों को पाने के, अब भी हकदार बना हुआ है जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है ; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था, निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा, अर्थात्:—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएं ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करना और ऐसे

व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, यह अपेक्षा करना कि वह ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों, प्रस्तुत करे, और उसे उनकी परीक्षा करने दे या उन्हें जैसी वे आवश्यक समझें ऐसी जानकारी दे ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक, या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाया जाए या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह व्यक्ति कर्मचारी है, परीक्षा करना ;

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा बही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उसमें से कोई उद्धरण उतारना ।

[सं० एस० 38014/8/75-एच० आई०]

जे०सी० सक्सेना, अवर सचिव

New Delhi, the 25th September, 1975

S.O. 4457.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts Indian Oil Blending Limited P-68, C.C.R. Diversion Road, Phar Pur Calcutta and Indian Oil Blending Limited Pir Pau Trombay, Bombay-74, from the operation of the said Act for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely:—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (herein after referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory, be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S. 38014/8/75-HI]

J. C. SAXENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1975

का. आ. 4458.—यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि लौह अयस्क खनन उद्योग, जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित किया जाना चाहिए ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (n) के उपखण्ड (आई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की अवधि के लिए एक लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[सं. एस-11017/2/75-डी.आई.ए]

एल. के. नारायणन, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

New Delhi, the 30th September, 1975

S.O. 4458.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the iron ore mining industry which is specified in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[File No. S. 11017/2/75/DIA]

L. K. NARAYANAN, Section Officer (Spl.)

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1975

का. आ. 4459.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली मुख्य योजना/जोनल प्लान में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है । इसे सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है । इस संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव देना हो तो

वे अपने आपत्ति/सुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-1 के पास लिखित रूप में भेज सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी आपत्ति/सुझाव दें वे अपना नाम तथा पूरा पता भी लिखें।

संशोधन :

"लगभग 4.0 हैं. (10 एकड़) का क्षेत्र जो दक्षिण-पश्चिम में 76.2 मी. (250'-0") चौड़ी रिंग रोड, उत्तर-पश्चिम में जिला उद्यान, खुले स्थान तथा रेलवे लाइन, उत्तर -पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व में जिला उद्यान तथा खुले स्थानों द्वारा घिरा हुआ है। यह क्षेत्र जोन डी-2 (माता सुन्दरी क्षेत्र) 'सी' पावर स्टेशन के दक्षिण में पड़ता है। इसे अब "मनोरंजन उपयोग" (जिला उद्यान तथा खुले स्थान) से "औद्योगिक उपयोग" (भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन हेतु) में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।"

शनिवार को छोड़कर समस्त कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय, विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली-1 में उक्त अवधि में आकर प्रस्तावित संशोधन के मानचित्र का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं. एफ. 20(5)75-एम. पी.]

हृदय नाथ फोतेदार, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 11th October, 1975

S.O. 4459.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhavan, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give name and full address.

MODIFICATION :

"An area measuring about 4 hect. (10 acres) bounded by 76.2 metres (250 ft.) wide Ring Road in the South-west, District Parks & open spaces and Railway Line in the North-west and District Parks & open spaces in he North-east and South-east falling in zone D-2 (Mata Sundari area), South of 'C' Power Station is proposed to be changed from "Recretional use" (District Parks and open spaces) to "Industrial use" (for the purpose of manufacturing building materials)".

The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhavan, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 20(5)/75-M.P.]

H. N. FOTEDAR, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1975.